



2026:AHC: 22013

सुरक्षित

प्रकाशनार्थ स्वीकृत

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट - ए संख्या - 62515 वर्ष 2017

राघवेन्द्र प्रसाद मिश्र

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता

: अनूप कुमार, अरविंद कुमार सिंह, कुशमोदेय शाही

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता

: मुख्य स्थायी अधिवक्ता, शचिन्द्र कुमार मिश्र, विभांशु

वैभव

और 3 संबंधित वाद

न्यायालय संख्या-44

माननीय न्यायमूर्ति जे.जे. मुनीर

1. इस निर्णय के माध्यम से हम रिट-ए संख्या 62515/2017, रिट-ए संख्या 42077/2016, रिट-ए संख्या 19042/2022 एवं रिट-ए संख्या 5197/2024 का निर्णय करने का प्रस्ताव रखते हैं। इनमें से तीन याचिकाएँ श्री शिव मोहर नाथ पाण्डेय किसान जनता इंटर कालेज, नगर बाजार, बस्ती में नियुक्त सहायक शिक्षक राघवेन्द्र प्रसाद मिश्रा के उक्त संस्थान में प्रवक्ता के पद पर पदोन्नति एवं उचित तिथि से सहायक शिक्षक के रूप में वरिष्ठता वेतनमान की स्वीकृति के दावे से संबंधित हैं। इन रिट याचिकाओं में से रिट-ए संख्या 5197/2024 श्री शिव मोहर नाथ पाण्डेय किसान जनता इंटर कालेज, नगर बाजार, बस्ती के प्रबन्धतंत्र (इसके पश्चात् 'प्रबन्धतंत्र') द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक, बस्ती (इसके पश्चात् 'डी.आई.ओ.एस.') द्वारा दिनांक 07.02.2024 को पारित आदेश को चुनौती देते हुए दायर की गई है, जिसके द्वारा प्रबन्ध समिति के दिनांक 26.01.2024 के प्रस्ताव को व्यावहारिक रूप से अस्वीकृत किया गया था। उक्त प्रस्ताव में राघवेन्द्र प्रसाद मिश्रा की सेवाएँ इस आधार पर समाप्त करने का निर्णय लिया गया था कि उनका उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, प्रयागराज (इसके पश्चात् 'बोर्ड') द्वारा कभी चयन नहीं किया गया था और उनकी नियुक्ति कपट का परिणाम थी।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



2. हमने रिट-ए संख्या 62515/2017 को प्रमुख वाद के रूप में सुना है। तथापि, हम सर्वप्रथम रिट-ए संख्या 5197/2024 का निर्णय करने का प्रस्ताव रखते हैं, जो प्रबन्धतंत्र द्वारा दायर की गई है, क्योंकि इस याचिका में तथ्य एवं वाद-हेतुक राघवेन्द्र प्रसाद मिश्रा द्वारा दायर शेष तीन याचिकाओं से कुछ भिन्न हैं। राघवेन्द्र प्रसाद मिश्रा को इसके पश्चात् समस्त याचिकाओं के संदर्भ में 'मिश्रा' कहा जाएगा।

3. रिट-ए संख्या 5197/2024, जो प्रबन्धतंत्र द्वारा दायर है, को मिश्रा द्वारा दायर तीन याचिकाओं के साथ इसलिए सुना गया, क्योंकि मिश्रा की सेवाएँ समाप्त करने की प्रबन्धतंत्र की कार्रवाई, जिसमें बोर्ड द्वारा उसके चयन को अस्तित्वहीन बताया गया, वास्तव में मिश्रा की प्रवक्ता पद पर पदोन्नति के दावे के विचारण को विफल करने के उद्देश्य से की गई थी। जैसा कि हम शीघ्र ही देखेंगे, प्रबन्धतंत्र के यह कहने का कोई आधार नहीं था कि बोर्ड ने मिश्रा का कभी चयन ही नहीं किया और इसलिए उसकी नियुक्ति अस्तित्वहीन थी, जो उन्हें दिनांक 26.01.2024 के प्रस्ताव एवं प्रबन्धक द्वारा दिनांक 29.01.2024 को अधिसूचित आदेश के माध्यम से उसकी सेवाएँ समाप्त करने का अधिकार देती थी। प्रबन्धतंत्र इस याचिका में डी.आई.ओ.एस. के दिनांक 07.02.2024 के आदेश को खंडित कराने के पश्चात् उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (इसके पश्चात् 'आयोग'), जो बोर्ड का उत्तराधिकारी है, को मिश्रा की सेवाएँ समाप्त करने वाले दिनांक 29.01.2024 के आदेश को अनुमोदित करने हेतु परमादेश जारी कराना भी चाहता है।

4. प्रबन्धतंत्र का प्रकरण यह है कि डी.आई.ओ.एस. द्वारा दिनांक 13.09.2005 को एक आदेश जारी किया गया था जिसमें बोर्ड के सचिव द्वारा दिनांक 09.08.2005 को जारी ज्ञापन के अनुसार मिश्रा का सहायक शिक्षक (प्रशिक्षित स्नातक) हिन्दी विषय में चयन किया गया है और प्रबन्धतंत्र को उसे उनके संस्थान में नियुक्त करना चाहिए। प्रबन्धतंत्र का कहना है कि डी.आई.ओ.एस. द्वारा जारी उक्त वैधानिक निर्देश का अनुपालन करते हुए उन्होंने दिनांक 16.09.2005 को मिश्रा के पक्ष में नियुक्ति पत्र जारी किया और दिनांक 20.09.2005 को वह सहायक शिक्षक के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया। प्रबन्धतंत्र का यह भी कहना है कि वर्ष 2017 में उन्हें ज्ञात हुआ कि मिश्रा का बोर्ड द्वारा विज्ञापन संख्या 01/2002 के अन्तर्गत हुई चयन परीक्षा में कभी चयन नहीं किया गया था तथा डी.आई.ओ.एस. के दिनांक 13.09.2005 के आदेश में उल्लिखित अनुक्रमांक 020110023 बोर्ड द्वारा जारी नियुक्ति पत्रों की सम्पूर्ण प्रेषण सूची में उपलब्ध नहीं है। प्रबन्धतंत्र का कहना है कि पत्रों की प्रेषण सूची में राघवेन्द्र मिश्रा नामक व्यक्ति का नाम तो है, परन्तु उसकी नियुक्ति एक अन्य संस्थान, जिसे आर.आर. इंटर कालेज, हरदोई कहा गया है, में दर्शाई गई है। प्रबन्धतंत्र का आगे यह भी कहना है कि व्यक्तिगत सत्यापन करने पर उन्होंने पाया कि राघवेन्द्र मिश्रा आर.आर. इंटर कालेज, हरदोई में कार्यरत है और वह मिश्रा से भिन्न व्यक्ति है, जिसे प्रबन्धतंत्र ने नियुक्त किया था।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. प्रबन्धतंत्र का आगे यह भी प्रकरण है कि उन्होंने विज्ञापन संख्या 01/2002 के विरुद्ध मिश्रा के चयन के संबंध में सूचना प्राप्त करने हेतु बोर्ड एवं उसके उत्तराधिकारी आयोग को सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत अनेक आवेदन प्रस्तुत किए। उन्हें अन्ततः समायोजन पंजिका की एक प्रति प्रदान की गई, जिसमें पत्र संख्या पत्रांक-2053-2120/2005 दिनांक 09.08.2005 का वही नम्बर है जो डी.आई.ओ.एस. के उस आदेश में उल्लिखित है जिसमें मिश्रा को प्रबन्धतंत्र के संस्थान में नियुक्त करने का निर्देश दिया गया था। प्रबन्धतंत्र का कहना है कि सम्पूर्ण पत्र संख्या पत्रांक-2053-2120/2005 दिनांक 09.08.2005 में डी.आई.ओ.एस. के आदेश में उल्लिखित अनुक्रमांक 020110023 उपलब्ध नहीं है। यह भी कहा गया है कि उक्त सूची में राघवेन्द्र मिश्रा नामक व्यक्ति का उल्लेख तो है, परन्तु उसकी नियुक्ति आर.आर. इंटर कालेज, हरदोई में दर्शाई गई है। यह सूचना प्राप्त होने के पश्चात् प्रबन्धतंत्र ने डी.आई.ओ.एस. को सूचित किया कि बोर्ड द्वारा चयनित राघवेन्द्र मिश्रा एक भिन्न व्यक्ति है, जिसने अनुक्रमांक 090110640 से चयन परीक्षा दी थी और वह किसी अन्य संस्थान में कार्यरत है। मिश्रा का कभी चयन नहीं हुआ और इसलिए उसकी नियुक्ति कपट का परिणाम थी। वह शून्य थी। डी.आई.ओ.एस. ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की, न ही मिश्रा द्वारा किए गए कपट की कोई जाँच कराई। डी.आई.ओ.एस. ने प्रबन्धतंत्र के दिनांक 16.12.2023 के बाद के अभ्यावेदन पर अपने दिनांक 20.12.2023 के पत्र के माध्यम से प्रमाण प्रस्तुत करने को कहा और सुनवाई के लिए दिनांक 26.12.2023 नियत किया। डी.आई.ओ.एस. ने पक्षकारों को सुना, परन्तु मिश्रा की कपटपूर्ण नियुक्ति को प्रकट करने वाली प्रासंगिक सामग्री पर ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय दिनांक 27.12.2023 को डी.आई.ओ.एस. द्वारा मिश्रा को वरिष्ठता वेतनमान का बकाया भुगतान करने के लिए एक पत्र जारी किया गया। जब डी.आई.ओ.एस. ने कोई कार्रवाई नहीं की, तो प्रबन्धतंत्र ने मिश्रा को इस विषय में कारण बताने का अवसर दिया और दिनांक 26.01.2024 के प्रस्ताव द्वारा उसकी सेवाएँ समाप्त करने का निर्णय लिया।

6. प्रबन्धक द्वारा, प्रबन्धतंत्र की ओर से, दिनांक 29.01.2024 को मिश्रा की सेवाओं को समाप्त करने का औपचारिक आदेश जारी किया गया। तत्पश्चात् डी.आई.ओ.एस. ने प्रबन्धतंत्र से दिनांक 29.01.2024 के आदेश के संबंध में प्रतिवेदन माँगा। प्रबन्धतंत्र ने दिनांक 02.02.2024 को अपने उत्तर में यह अनुरोध करते हुए जवाब दिया कि मिश्रा की सेवाएँ समाप्त करने वाले आदेश को अनुमोदित किया जाए।

7. प्रबन्धतंत्र का कहना है कि डी.आई.ओ.एस. ने मिश्रा की सेवाएँ समाप्त करने वाले आदेश को अनुमोदित करने के विषय में कोई कार्रवाई नहीं की। प्रबन्धतंत्र इस निष्क्रियता से व्यथित होकर दिनांक 06.02.2024 को जिलाधिकारी, बस्ती के पास एक अभ्यावेदन लेकर गए, जो संक्षिप्त, अत्यन्त विचित्र और किसी भी प्रकार मधुर नहीं है। अभ्यावेदन के सार भाग तथा उसमें किए गए अनुरोध का पाठ इस प्रकार है :

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



'उपरोक्त के सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी ने जिला विद्यालय निरीक्षक बस्ती को कुल 09 पत्र भेजकर दिशा-निर्देश/अनुमति माँगा। इसके बावजूद उनके द्वारा कोई दिशा-निर्देश या अनुमति नहीं दी गई और दिनांक 26.12.2023 को सुनवाई की। उसके बाद करीब 43 दिन व्यतीत हो जाने पर भी निर्णय नहीं लिया।

अधोहस्ताक्षरी ने दिनांक 29.01.2024 को भी राघवेन्द्र प्रसाद मिश्रा फर्जी शिक्षक की सेवा समाप्त कर दी। तब जिला विद्यालय निरीक्षक बस्ती प्रबन्धतंत्र को बंद करने की धमकी दिये।

महोदय जनपद का सर्वोच्च अधिकारी होने के कारण उपरोक्त के सम्बन्ध में आप से उचित कार्रवाई का अनुरोध है।'

8. प्रबन्धतंत्र का कहना है कि जिलाधिकारी, बस्ती ने डी.आई.ओ.एस. को इस मामले में शीघ्रता से निर्णय लेने के निर्देश दिए, जिसके फलस्वरूप डी.आई.ओ.एस. ने दिनांक 07.02.2024 को आक्षेपित आदेश पारित करते हुए प्रबन्धक द्वारा मिश्रा की सेवाएँ समाप्त करने हेतु दिनांक 29.01.2024 को पारित आदेश को अस्वीकृत कर दिया। डी.आई.ओ.एस. के इसी दिनांक 07.02.2024 के आदेश की वैधता को वर्तमान रिट याचिका में चुनौती दी गई है।

9. इस रिट याचिका में राज्य, आयोग तथा मिश्रा को नोटिस जारी किया गया था, परन्तु कोई प्रत्युत्तर दाखिल नहीं किया गया है।

10. हमने वर्तमान रिट याचिका के समर्थन में प्रबन्धतंत्र की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री शचीन्द्र कुमार मिश्रा को, प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3 एवं 4 की ओर से विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता डॉ. सन्तोष कुमार शुक्ला के साथ विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री रूपेश तिवारी को, प्रतिवादी संख्या 5 आयोग के सचिव की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री विभांशु वैभव के स्थान पर उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री ए.के. यादव को, तथा मिश्रा की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अरविन्द कुमार सिंह के साथ श्री वशिष्ठ नारायण पाण्डेय को सुना। अभिलेख का परिशीलन किया गया है।

11. आक्षेपित आदेश की वैधता तथा प्रबन्धतंत्र के सहायक राहत के दावे की परीक्षा करने से पूर्व, हम कुछ ऐसी बातें उल्लिखित करना उचित समझते हैं, जो कतिपय प्राधिकारियों की, विशेषकर जिलाधिकारी एवं डी.आई.ओ.एस. की, परस्पर अधिकारिता से संबंधित हैं।

12. जिला विद्यालय निरीक्षक अपने आप में एक जनपद स्तरीय अधिकारी हैं और जनपद में माध्यमिक शिक्षा की राज्य सरकार की व्यवस्था का प्रमुख हैं। माध्यमिक शिक्षा विभाग अपने स्वयं के अधिकारियों की श्रेणी-क्रम सहित सरकार का एक स्वतंत्र विभाग है। जिला विद्यालय निरीक्षक के ऊपर श्रेणी-क्रम में उप शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) होते हैं, उनके ऊपर क्षेत्रीय संयुक्त शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) हैं। अगले वरिष्ठ अधिकारी अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) हैं। उनके बाद शिक्षा

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



निदेशक (माध्यमिक) हैं, जो राज्य में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के प्रमुख हैं। श्रेणी-क्रम में अगला भाग राज्य सरकार का है और वे हैं अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव (माध्यमिक शिक्षा)। विभाग का नेतृत्व माध्यमिक शिक्षा मंत्री द्वारा किया जाता है।

13. इस सम्पूर्ण श्रेणी-क्रम में जिला कलेक्टर या जिलाधिकारी का कहीं कोई स्थान नहीं है। जिला कलेक्टर अथवा जिलाधिकारी जनपद में राजस्व एवं नागरिक प्रशासन का प्रमुख होता है और उसका माध्यमिक शिक्षा विभाग से कोई संबंध नहीं है। माध्यमिक शिक्षा विभाग के विषयों में उसे कोई अधिकारिता, प्राधिकार या शक्ति प्राप्त नहीं है। अतः यह विचित्र, यद्यपि आश्चर्यजनक नहीं, है कि प्रबन्धतंत्र अपने उस प्रस्ताव को अनुमोदित करने के लिए डी.आई.ओ.एस. को शीघ्रता से कार्रवाई करने का निर्देश दिलाने हेतु जिलाधिकारी के पास पहुँच गया, जिसमें मिश्रा की सेवाएँ समाप्त करने की संस्तुति की गई थी। और अधिक विचित्र, यद्यपि पुनः आश्चर्यजनक नहीं, यह है कि जिलाधिकारी ने वास्तव में ऐसे निर्देश जारी किए, जैसा कि प्रबन्धतंत्र का कहना है, जिसका डी.आई.ओ.एस. ने तत्काल अनुपालन किया और विधि के अधीन मिश्रा के प्रकरण में अनुमोदन/अस्वीकृति के संबंध में आदेश पारित कर अपना दायित्व निभाया।

14. हम स्पष्ट मत के हैं कि यदि प्रबन्धतंत्र जिलाधिकारी की निष्क्रियता से व्यथित थे, तो उन्हें माध्यमिक शिक्षा विभाग की श्रेणी-क्रम में अगले वरिष्ठ अधिकारी, अर्थात् उप शिक्षा निदेशक अथवा क्षेत्रीय संयुक्त शिक्षा निदेशक के समक्ष शिकायत करनी चाहिए थी। इन अधिकारियों द्वारा डी.आई.ओ.एस. को आवश्यक निर्देश जारी किए जा सकते थे। माध्यमिक शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों के पास जाए बिना अथवा उनके पास जाने के अतिरिक्त, प्रबन्धतंत्र सदैव इस न्यायालय में भी आ सकते थे और मिश्रा की सेवाएँ समाप्त करने के अपने प्रस्ताव पर निर्णय लेने का दायित्व निर्वहन करने हेतु डी.आई.ओ.एस. को परमादेश जारी करने की प्रार्थना कर सकते थे। जिलाधिकारी द्वारा जारी किए गए प्रकार के निर्देश या तो डी.आई.ओ.एस. के ऊपर श्रेणी-क्रम में 'प्रत्यक्ष पंक्ति' में स्थित प्रशासनिक वरिष्ठ द्वारा दिए जा सकते थे, अथवा राज्य की न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करने वाले किसी न्यायाधीश द्वारा, जो साधारण मूल सिविल अधिकारिता का प्रयोग करे, जैसे कि सिविल न्यायाधीश। सिविल न्यायाधीश, प्रबन्धतंत्र के वाद पर, डी.आई.ओ.एस. द्वारा आवश्यक कार्रवाई किए जाने का आदेश देते हुए अनिवार्य व्यादेश जारी कर सकते थे। यदि किसी कारण से यह उपाय प्रभावकारी न हो, तो प्रबन्धतंत्र सदैव संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन हमारी अधिकारिता का आह्वान कर सकते थे और मिश्रा की सेवाएँ समाप्त करने के अपने प्रस्ताव को अनुमोदित करने के विषय में निर्णय लेने हेतु डी.आई.ओ.एस. को परमादेश जारी करने की प्रार्थना कर सकते थे। डी.आई.ओ.एस. को निर्देश देने की जिलाधिकारी को अधिकारिता का तनिक भी आभास नहीं था।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



15. हम यह क्यों कह रहे हैं कि प्रबन्धतंत्र का जिलाधिकारी के पास जाना विचित्र था, इसे हमने ऊपर इंगित किया है। हम यह क्यों कह रहे हैं कि यह आश्चर्यजनक नहीं था, इसका कारण यह है कि सामान्य नागरिकों में, चाहे वे शिक्षित हों या अशिक्षित, एक प्रचलित धारणा है कि जिलाधिकारी जनपद में कार्यरत सभी प्राधिकारियों, सार्वजनिक कार्यकर्ताओं और सांविधिक निकायों का किसी प्रकार का 'प्रमुख' होता है, जिसके संदर्भ में वह कलेक्टर के रूप में नागरिक प्रशासन का प्रमुख होने के नाते कानून-व्यवस्था बनाए रखने का उत्तरदायी है। विधि, जिलाधिकारी को जनपद में स्थित सरकार के अन्य विभागों के समक्ष अथवा उच्च पद के प्राधिकारियों और कार्यकर्ताओं पर किसी प्रकार की सामान्य पर्यवेक्षण शक्ति प्रदान नहीं करती। यद्यपि सामान्य नागरिकों में जिलाधिकारी के अधिकार के बारे में ऐसी भ्रांत धारणाएँ हों, तो भी जिलाधिकारी का यह कर्तव्य है कि वह ऐसी धारणाओं को दूर करे और अपने प्रतिष्ठान या विधि के अधीन अपने क्षेत्राधिकार से असंबंधित अन्य विभागों के कार्यकर्ताओं के मामलों में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दे। यदि कोई विधि किसी विशेष मामले में जिलाधिकारी को अन्य प्राधिकारियों के प्रतिष्ठान को प्रभावित करने वाली कोई अधिकारिता प्रदान करती है, तो निःसंदेह वह अलग बात होगी, परन्तु अन्यथा नहीं। यहाँ ऐसी स्थिति बिल्कुल नहीं है।

16. इस मामले का एक और पहलू है जिसे हमें अवश्य उल्लिखित करना चाहिए। यह केवल यह नहीं है कि इस प्रकरण में जिलाधिकारी ने अधिकारिता ग्रहण करते हुए डी.आई.ओ.एस. को उसके समक्ष लम्बित मामले का निर्णय करने के निर्देश जारी किए, बल्कि आश्चर्यजनक रूप से डी.आई.ओ.एस. ने भी जिलाधिकारी के निर्देशों का तत्काल अनुपालन किया। यह दर्शाता है कि जनपद में कार्यरत ऐसे स्वतंत्र विभागों के कार्यकर्ता, जो जिलाधिकारी के प्रतिष्ठान से बिल्कुल असंबंधित हैं, जिलाधिकारी के अधिकार को बिना किसी विधिक आधार के स्वीकार कर लेते हैं। यह ऐसा प्रकरण है जहाँ डी.आई.ओ.एस. को जिलाधिकारी को दृढ़तापूर्वक यह बताना चाहिए था कि वह उसके विभाग के मामलों में हस्तक्षेप न करें, परन्तु इसके बजाय वह बिना किसी प्राधिकार के जारी जिलाधिकारी के आदेश के समक्ष झुक गया।

17. हमें यहाँ यह भी उल्लिखित करना होगा कि इस प्रकार की स्थितियाँ सामान्य हैं और राज्य भर के जिलाधिकारी व्यावहारिक रूप से भटकते शूरवीरों की भाँति कार्य करते हैं, जो जनसाधारण द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदनों या स्मरण पत्रों पर बिल्कुल असंबंधित विभागों के मामलों में हस्तक्षेप करते हैं। चूँकि ऐसे स्वतंत्र कार्यकर्ता, जो किसी भी प्रकार से जिलाधिकारी के अधिकार के अधीन नहीं हैं, ऐसे सभी आदेशों के आगे तत्काल झुक जाते हैं, इससे यह सार्वजनिक विश्वास और दृढ़ होता है कि जिलाधिकारी जनपद में एक प्रकार का सर्वाधिकारी है, जिसके पास एक जादुई छड़ी है जो जनपद में किसी भी प्रतिष्ठान से सम्बद्ध राज्य के किसी भी कार्यकर्ता के विरुद्ध जनसाधारण की कोई भी शिकायत दूर करने का सर्वरामबाण है। यह धारणा प्रशासनिक एवं विधिक विकृतियों को जन्म देती है, जिन्हें दृढ़ हाथों से समाप्त करना होगा। यह सलाह दी जाती है कि जिलाधिकारी सुरक्षित मार्ग अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अपनाएँ और विधि के अधीन जहाँ उनके पास अधिकार नहीं हैं, वहाँ प्राधिकार के रंग में कार्य करने से परहेज करें। अन्यथा, भविष्य के प्रकरणों के लिए इस न्यायालय को उन पदासीन व्यक्तियों के विरुद्ध दंडात्मक उपाय अपनाने पर विचार करना पड़ सकता है जो सीमा लाँघते हैं और विधि का उल्लंघन करते हैं।

18. अब विचाराधीन रिट याचिका में निहित विषय की ओर मुड़ते हैं। आक्षेपित आदेश के पाठ से जो प्रतीत होता है वह यह है कि डी.आई.ओ.एस. को बोर्ड के सचिव से पत्र संख्या 1325/अभियाचन/677-2023/2023-24 दिनांक 30.01.2024 के माध्यम से सूचित किया गया था कि बोर्ड के कार्यालय में रखे अभिलेखों से ज्ञात होता है कि पत्र संख्या 2053-2120 दिनांक 09.08.2005 द्वारा एक समायोजित पैनल डी.आई.ओ.एस. को प्रेषित किया गया था। उक्त पैनल में मिश्रा, जिसे बोर्ड द्वारा विज्ञापन संख्या 01/2002 के जवाब में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक हिन्दी (विकलांग) के रूप में चयनित करते हुए दिनांक 24.12.2004 की अधिसूचना द्वारा गंगा प्रसाद मिश्री लाल इंटर कालेज, कौड़िया, गोण्डा में नियुक्ति की संस्तुति की गई थी, को बाद में समायोजन पत्र संख्या मा0शि0च0बो0/2053-2120/2005 दिनांक 09.08.2005 द्वारा जनता इंटर कालेज, नगर बाजार, बस्ती में नियुक्ति की संस्तुति की गई। डी.आई.ओ.एस. ने, इसलिए, यह माना कि मिश्रा का प्रकरण बोर्ड द्वारा किए गए वास्तविक चयन एवं नियुक्ति का है और बिना चयन के कपटपूर्वक नियुक्ति प्राप्त करने के आधार पर उसकी सेवाएँ समाप्त करने का आदेश स्वीकार्य नहीं हो सकता। अतः सेवा-समाप्ति के आदेश को अस्वीकृत करते हुए उत्तर प्रदेश उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एवं इंटरमीडिएट कालेज (शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) अधिनियम, 1971 के अधीन प्रबन्धतंत्र के विरुद्ध बलपूर्वक कार्रवाई की चेतावनी के साथ वेतन आदि के सभी बकाए का भुगतान करने के निर्देश जारी किए गए।

19. विद्वान अधिवक्ताओं ने हमारे समक्ष अपने-अपने पक्ष प्रस्तुत किए – प्रबन्धतंत्र का कहना था कि मिश्रा का बोर्ड द्वारा कभी चयन नहीं किया गया था और वह वास्तव में कपटपूर्वक नियुक्त हुआ था, जबकि विद्वान स्थायी अधिवक्ता और बोर्ड दोनों ने कहा कि मिश्रा का चयन एवं नियुक्ति वास्तविक थी। अतः हमने बोर्ड से मिश्रा की नियुक्ति से संबंधित मूल अभिलेख तलब किए और उनका परिशीलन किया।

20. सर्वप्रथम जो दस्तावेज परिशीलित किया गया वह बोर्ड के सचिव का जिला विद्यालय निरीक्षक, गोण्डा एवं बलरामपुर को दिनांक 25.01.2005 का एक आवरण पत्र है, जिस पर पत्रांक सं0 मा0शि0च0बो0/9588-9603/2002 अंकित है, जिसके साथ प्रासंगिक नियमों के अधीन हिन्दी विषय में चयनित अभ्यर्थियों के पैनल की दो प्रतियाँ संलग्न थीं और यह निर्देश दिया गया था कि चयनित अभ्यर्थियों को उचित महाविद्यालय में रखना सुनिश्चित किया जाए। इस ज्ञापन के साथ अन्य असम्बद्ध जिला विद्यालय निरीक्षकों को संबोधित अन्य ज्ञापन भी हैं जो मिश्रा से संबंधित नहीं हैं।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



तत्पश्चात् दिनांक 25.01.2005 के जापन के साथ संलग्न पैनल की एक अधिसूचना है। बोर्ड द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 24.12.2004 की है और उस पर संख्या 491/2004 अंकित है। इस अधिसूचना में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि जिन शिक्षकों के नाम दिए गए हैं, उनका अधिसूचित चयन बोर्ड द्वारा जारी विज्ञापन संख्या 01/2002 के संदर्भ में किया गया है। इसमें विभिन्न जनपदों के लिए चयनित 12 शिक्षकों के नाम हैं। इस अधिसूचना की क्रम संख्या 9 पर मिश्रा का नाम निम्न प्रकार उल्लिखित है :

'9. गंगा प्रसाद मिश्री लाल इंटर कालेज, कौड़िया, गोण्डा

0202110023 श्री राघवेन्द्र प्रसाद मिश्रा ,

ग्राम-अगई पड़, पोस्ट पिपरा गौतम, बस्ती।'

21. दूसरा दस्तावेज जो हमने परिशीलित किया वह बोर्ड की दिनांक 02.08.2005 की बैठक में तैयार की गई एल.टी. ग्रेड शिक्षक-चयनित की सूची है, जिसमें संबंधित चयनितों को उन संस्थानों से भिन्न संस्थानों में समायोजित किया गया है जिनके विरुद्ध उन्हें प्रारम्भ में नियुक्ति के लिए रखा गया था। सूची में आठ कॉलम हैं। पहले में क्रम संख्या है, दूसरे में विषय, तीसरे में अनुक्रमांक, चौथे में शिक्षक-चयनित का नाम एवं पता, पाँचवें में जाति, छठे में अधिसूचना संख्या एवं तिथि, सातवें में प्रारम्भ में आवंटित संस्थान का नाम, और आठवें में समायोजित/पुनः आवंटित संस्थान। यह दस्तावेज अन्य दस्तावेजों की भाँति बोर्ड के विद्वान अधिवक्ता ने हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है।

22. जो क्रम संख्या 29 प्रतीत होती है (स्टेंसिल प्रति के फ्रेम से सटीक क्रम संख्या कट गई है), उसमें दूसरे कॉलम में 'एल.टी. हिन्दी', तीसरे कॉलम में अनुक्रमांक 020110023, चौथे कॉलम में मिश्रा का नाम एवं पता उल्लिखित है। जाति वाले कॉलम में 'विकलांग' अंकित है। छठे कॉलम में अधिसूचना संख्या एवं तिथि 491/04, दिनांक 24.12.2004 दर्शाई गई है। सातवें कॉलम में मिश्रा को प्रारम्भ में आवंटित संस्थान 'गंगा प्रसाद मिश्री लाल इंटर कालेज, कौड़िया, गोण्डा' उल्लिखित है। आठवें कॉलम में समायोजित/पुनः आवंटित संस्थान 'जनता इंटर कालेज, नगर बाजार, बस्ती' अंकित है। इसमें कोई विवाद नहीं है कि जिस संस्थान का प्रबन्धतंत्र प्रबन्धन करती है, जिसका पूरा नाम श्री शिवमोहर नाथ पाण्डेय किसान जनता इंटर कालेज, नगर बाजार, बस्ती है, वही जनता इंटर कालेज, नगर बाजार, बस्ती है। किसी ने भी हमारे समक्ष यह विवाद नहीं किया कि समायोजन सूची में पुनः आवंटित संस्थान के रूप में जनता इंटर कालेज, नगर बाजार, बस्ती का उल्लेख प्रबन्धतंत्र के संस्थान का संदर्भ है। बोर्ड से संबंधित मूल समायोजन पंजिका भी हमारे समक्ष रखी गई है, जिसमें भी आठ कॉलम हैं। मूल पंजिका 189 पत्रकों वाले दस्तावेज के रूप में प्रमाणित की गई है – दो क्रमिक पृष्ठों को एक पत्रक माना गया है। समायोजन प्रविष्टियाँ पहले पत्रक के दूसरे पृष्ठ से प्रारम्भ होकर आठवें पत्रक के पहले पृष्ठ पर समाप्त होती हैं। समायोजन पंजिका में आठ कॉलम हैं, जिनमें पहले में क्रम संख्या, अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



दूसरे में शिक्षक-चयनित का अनुक्रमांक, तीसरे में 'विषय', चौथे में शिक्षक-चयनित का नाम एवं पता, पाँचवें में उसकी/उसके जाति, छठे में अधिसूचना संख्या एवं तिथि, जिसके विरुद्ध शिक्षक-चयनित ने आवेदन किया था, सातवें में प्रारम्भ में आवंटित संस्थान का नाम, और आठवें में पुनः आवंटित संस्थान है। एक क्रम संख्या-समूह पत्रक संख्या 5 के पहले पृष्ठ पर 31 तक समाप्त होता है। पत्रक संख्या 5 के दूसरे पृष्ठ पर नई क्रम संख्याएँ प्रारम्भ होती हैं। यहाँ, समायोजन पंजिका के इस पृष्ठ पर, क्रम संख्या 1 के विरुद्ध अनुक्रमांक 020110023 अंकित है, विषय हिन्दी है, शिक्षक-चयनित का नाम मिश्रा का है, अधिसूचना संख्या 491/2004 तथा अधिसूचना की तिथि 24.12.2004 दर्शाई गई है। मिश्रा को प्रारम्भ में आवंटित संस्थान गंगा प्रसाद मिश्री लाल इंटर कालेज, कौड़िया, गोण्डा है और अंतिम कॉलम में दर्शाया गया पुनः आवंटित संस्थान जनता इंटर कालेज, नगर बाजार, बस्ती है।

23. रिट-ए संख्या 5197/2024 के प्रस्तर 5 और 8 के अभिकथन, जो समायोजन पंजिका की प्रति में मिश्रा के अनुक्रमांक की अशुद्धि पर आधारित हैं, अपना महत्व खो देते हैं। समायोजन पंजिका के परिशीलन से स्पष्ट है कि मिश्रा का अनुक्रमांक 020110023 है और अधिसूचना संख्या 491/2004 दिनांक 24.12.2004 है। समायोजन पंजिका यह भी दर्शाती है कि मिश्रा को प्रारम्भ में गंगा प्रसाद मिश्री लाल इंटर कालेज, कौड़िया, गोण्डा आवंटित किया गया था और तत्पश्चात् जनता इंटर कालेज, नगर बाजार, बस्ती, अर्थात् प्रबन्धतंत्र के संस्थान में, पुनः आवंटित किया गया।

24. यह तथ्य कि मिश्रा का वास्तव में आयोग/बोर्ड द्वारा चयन किया गया था, इन सभी दस्तावेजों के संयुक्त अवलोकन से निर्विवाद है। अधिसूचना संख्या की पुष्टि बोर्ड द्वारा प्रस्तुत दिनांक 24.12.2004 की मूल स्टैंसिल प्रति के अवलोकन से भी होती है, जिस पर संख्या 491/2004 अंकित है। उक्त अधिसूचना में मिश्रा का नाम क्रम संख्या 9 पर है तथा उल्लिखित अनुक्रमांक 020110023 है। इन सभी दस्तावेजों के आलोक में प्रबन्धतंत्र के लिए बोर्ड द्वारा अस्तित्वहीन चयन के आधार पर मिश्रा के विरुद्ध कपटपूर्ण नियुक्ति का दावा प्रस्तुत करने की कोई गुंजाइश नहीं है। वास्तव में, प्रबन्धतंत्र का वह प्रकरण, जिसके आधार पर उन्होंने दिनांक 26.01.2024 का प्रस्ताव और परिणामी दिनांक 29.01.2024 का आदेश पारित करते हुए मिश्रा की सेवाएँ समाप्त की, स्पष्ट रूप से दुर्भावनापूर्ण है। यह किसी साक्ष्य पर आधारित नहीं है।

25. हमारा मत है कि यह जानबूझकर मिश्रा के कैरियर को नष्ट करने और उसे अपनी सेवा-समाप्ति निरस्त कराने के लिए भटकाने के उद्देश्य से किया गया, जबकि अन्यथा वह पदोन्नति के अपने दावे का प्रतिपादन करता, जिसे अस्वीकार कर दिया गया है। अतः हम यह अभिनिर्धारित करते हैं कि डी.आई.ओ.एस. द्वारा पारित आक्षेपित आदेश न केवल निर्दोष है, अपितु प्रबन्धतंत्र का रवैया दुर्भावनापूर्ण है, जो 50,000/- रुपये के अनुकरणीय व्यय को आमंत्रित करता है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



26. अब हम शेष तीन रिट याचिकाओं की ओर ध्यान देते हैं, जो सभी मिश्रा द्वारा दायर की गई हैं।

27. हमने मिश्रा की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अरविन्द कुमार सिंह के साथ श्री वशिष्ठ नारायण पाण्डेय को, प्रबन्धतंत्र की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री शचीन्द्र कुमार मिश्रा को, तथा राज्य-प्रतिवादियों की ओर से विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता डॉ. सन्तोष कुमार शुक्ला के साथ विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री रूपेश तिवारी को शेष तीन रिट याचिकाओं में सुना।

28. रिट-ए संख्या 42077/2016 में डी.आई.ओ.एस. को मिश्रा के दिनांक 11.01.2016 के अभ्यावेदन पर निर्णय लेने के लिए परमादेश जारी करने की प्रार्थना की गई है। अभ्यावेदन मिश्रा के वरिष्ठता वेतनमान प्राप्त करने के दावे के बारे में है, जो उसके अनुसार दिनांक 20.09.2015 को देय हो गया था। डी.आई.ओ.एस. ने वर्तमान रिट याचिका के उत्तर में प्रति शपथ पत्र दाखिल नहीं किया है। तथापि, प्रबन्धतंत्र की ओर से एक प्रति शपथ पत्र दाखिल किया गया है, जिसमें अनेक बातें कहते हुए मिश्रा के दावे का प्रतिरोध किया गया है, परन्तु जो प्रासंगिक है वह उनके प्रति शपथ पत्र के प्रस्तर 31 में निहित अभिवाक् है। वहाँ कहा गया है कि मिश्रा के वरिष्ठता वेतनमान की स्वीकृति के दावे पर डी.आई.ओ.एस. द्वारा दिनांक 25.07.2023 के आदेश के माध्यम से निर्णय ले लिया गया है, जिसमें मिश्रा को दिनांक 01.07.2019 से वरिष्ठता वेतनमान दिए जाने का आदेश दिया गया है।

29. यह भी अभिकथित है कि दिनांक 25.07.2023 के आदेश को मिश्रा ने चुनौती नहीं दी। दिनांक 25.07.2023 के आदेश के परिशीलन से ज्ञात होता है कि मिश्रा को वास्तव में दिनांक 01.07.2019 से वरिष्ठता वेतनमान स्वीकृत किया गया है। आदेश में प्रतीयमान कारण यह है कि मिश्रा को दिनांक 02.09.2005 से सहायक शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था और उसने वास्तव में वरिष्ठता वेतनमान का अधिकारी होने हेतु 10 वर्षों की अर्हक सेवा दिनांक 19.09.2015 को पूर्ण कर ली थी, परन्तु उसे प्रबन्धतंत्र के दिनांक 05.05.2023 के प्रस्ताव द्वारा अनुशंसित किया गया, क्योंकि उसे प्रदान की गई अंतिम प्रतिकूल प्रविष्टि दिनांक 30.06.2009 की थी और 10 वर्षों की अवधि उक्त प्रविष्टि की तिथि से जोड़ी जानी थी। इसी रीति से डी.आई.ओ.एस. ने दिनांक 25.07.2023 के आदेश द्वारा दिनांक 01.07.2019 से वरिष्ठता वेतनमान देने का निर्णय लिया।

30. यद्यपि यह सत्य है कि मिश्रा ने दिनांक 25.07.2023 के आदेश को चुनौती नहीं दी, परन्तु अन्य दो रिट याचिकाओं में, जिनका हम शीघ्र उल्लेख करेंगे, उसने उसे प्रदान की गई प्रतिकूल प्रविष्टियों की वैधता को प्रश्नगत किया है। अतः यदि मिश्रा को प्रदान की गई प्रतिकूल प्रविष्टियाँ – जिनमें अंतिम प्रविष्टि निर्विवाद रूप से दिनांक 30.06.2009 की है – इस न्यायालय द्वारा शेष दो रिट याचिकाओं का निर्णय करते समय अप्रभावी मानी जाती हैं, तो हम सोचते हैं कि तदनुसार परिणाम होंगे जिनसे वर्तमान रिट याचिका में कोई आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं रहेगी।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



31. रिट-ए संख्या 62515/2017 में मिश्रा ने संयुक्त शिक्षा निदेशक, बस्ती क्षेत्र, बस्ती द्वारा दिनांक 12.10.2017 को पारित आदेश को खंडित कराने की प्रार्थना की है, जिसके द्वारा सहायक शिक्षक एल.टी. ग्रेड के रूप में वरिष्ठता वेतनमान तथा प्रवक्ता (संस्कृत) के पद पर पदोन्नति के मिश्रा के दावे को अस्वीकार किया गया है। यहाँ मिश्रा ने प्रतिवादियों में से प्रत्येक को प्रबन्धतंत्र के संस्थान में संस्कृत के प्रवक्ता पद पर मिश्रा को पदोन्नत करने का परमादेश जारी करने की और प्रार्थना की है।

32. रिट-ए संख्या 19042/2022 मिश्रा द्वारा संयुक्त शिक्षा निदेशक, बस्ती क्षेत्र, बस्ती द्वारा दिनांक 30.08.2022 को पारित उस आदेश को खंडित कराने के लिए दायर की गई है जिसके द्वारा प्रतिवादी संख्या 5 को प्रबन्धतंत्र के संस्थान में अर्थशास्त्र के प्रवक्ता पद पर पदोन्नत किया गया है। मिश्रा ने प्रतिवादियों को पदोन्नति हेतु आरक्षित 50% कोटे के अन्तर्गत उक्त संस्थान में संस्कृत के प्रवक्ता पद पर मिश्रा को पदोन्नत करने का परमादेश जारी करने की भी प्रार्थना की है।

33. मामलों के तार्किक अनुक्रम में, अब रिट-ए संख्या 62515/2017 लेना उचित होगा क्योंकि यही याचिका और रिट-ए संख्या 19042/2022, मिश्रा के उन सभी दावों को समाहित करती हैं जिनका इस न्यायालय द्वारा निर्णय किया जाना है।

34. रिट-ए संख्या 62515/2017 में हम उल्लिखित कर सकते हैं कि डी.आई.ओ.एस. की ओर से एक प्रति शपथ पत्र दाखिल किया गया है, जिसका कोई प्रति-उत्तर नहीं है। डी.आई.ओ.एस. की ओर से एक पूरक प्रति शपथ पत्र है, जिसका मिश्रा द्वारा पूरक प्रति-उत्तर में जवाब दिया गया है। प्रबन्धतंत्र की ओर से मिश्रा की रिट याचिका का उत्तर देते हुए एक अलग प्रति शपथ पत्र है। मिश्रा ने प्रबन्धतंत्र के प्रकरण के उत्तर में प्रति-उत्तर दाखिल किया है।

35. अब, इस याचिका में मिश्रा के दावे के दो पहलू हैं – एक, सहायक शिक्षक एल.टी. ग्रेड के रूप में उसके अधिकार की तिथि से वरिष्ठता वेतनमान की स्वीकृति, और दूसरा, संस्कृत के प्रवक्ता पद पर उसके प्रकरण के विचारण की प्रार्थना। आक्षेपित आदेश दोनों दावों को अस्वीकार करता है। जैसा कि हम पहले ही उल्लिखित कर चुके हैं, रिट-ए संख्या 42077/2016 में मिश्रा के दावे का उल्लेख करते हुए कि डी.आई.ओ.एस. के दिनांक 25.07.2023 के आदेश द्वारा मिश्रा को वास्तव में दिनांक 01.07.2019 से वरिष्ठता वेतनमान स्वीकृत किया जा चुका है। यह आदेश इस आधार पर है कि मिश्रा को उसकी अंतिम प्रतिकूल प्रविष्टि दिनांक 30.06.2009 को प्रदान की गई थी और 10 वर्षों की संतोषजनक सेवा दिनांक 01.07.2019 को पूर्ण हुई, जब उसे वरिष्ठता वेतनमान स्वीकृत किया गया। मिश्रा ने इसे दिनांक 19.01.2015 से दावा किया है, इसलिए कि वह प्रबन्धतंत्र के संस्थान में एल.टी. ग्रेड शिक्षक के रूप में दिनांक 20.09.2005 से कार्यरत है। अतः प्रतीत होता है कि मिश्रा को प्रदान की गई प्रतिकूल प्रविष्टियाँ ही वह आधार या नींव हैं जिसके कारण उसे एल.टी. ग्रेड सहायक

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



शिक्षक के रूप में चार वर्षों की लम्बी अवधि तक वरिष्ठता वेतनमान से वंचित किया गया। इसलिए यह जाँचना आवश्यक है कि मिश्रा को प्रदान की गई प्रतिकूल प्रविष्टियाँ विधि के अनुसार हैं या वे ऐसी अवैधताओं से दूषित हैं जो इस न्यायालय को हस्तक्षेप करने का अधिकार देती हों।

36. आक्षेपित आदेश दिनांक 12.10.2017 के पाठ से ज्ञात होता है कि मिश्रा को संस्था के प्रधानाचार्य द्वारा वर्ष 2005-06, 2006-07, 2007-08 तथा 2008-09 के लिए प्रतिकूल प्रविष्टियाँ दी गई थीं, साथ ही प्रबन्धक ने उसे 'संस्था विरोधी कार्य' में लिप्त होने के लिए चेतावनी दी थी। आक्षेपित आदेश में यह भी दर्ज है कि मिश्रा को न केवल ये प्रतिकूल प्रविष्टियाँ प्रदान की गईं, बल्कि उसे उनकी सूचना भी दी गई। यह तथ्य प्रबन्धतंत्र ने डी.आई.ओ.एस. को दिनांक 29.12.2015 के अपने पत्र से अवगत कराया था।

37. मिश्रा ने रिट याचिका के प्रस्तर 17 में यह अभिकथित किया है कि वर्ष 2005-06, 2006-07, 2007-08 और 2008-09 की प्रतिकूल प्रविष्टियाँ न तो प्रदान की गईं और न ही उसे सूचित की गईं, और इसलिए उन्हें विचार में नहीं लिया जा सकता। यह भी अभिकथित है कि प्रतिकूल प्रविष्टियों के बारे में कारण बताने का अवसर मिश्रा को आज तक नहीं दिया गया, परन्तु प्रबन्धक ने उसकी पदोन्नति के दावे का प्रतिरोध करने के लिए यह कहानी गढ़ी है। स्पष्टतः न केवल पदोन्नति, बल्कि प्रतिकूल प्रविष्टियाँ, जैसा कि प्रबन्धतंत्र कहते हैं, जो मिश्रा की सेवा अभिलेख को कलंकित करती हैं, काफी लम्बे समय तक उसे वरिष्ठता वेतनमान से वंचित करने का आधार हैं। रिट याचिका के प्रस्तर 17 का उत्तर प्रबन्धतंत्र के प्रति शपथ पत्र के प्रस्तर 39 में, उसके साथ-साथ रिट याचिका के प्रस्तर 18, 19 और 20 के उत्तर में दिया गया है, जहाँ इस मुद्दे पर केवल इतना ही कहा गया है कि मिश्रा की सेवा असंतोषजनक है और सेवा अभिलेख में खराब प्रविष्टियाँ हैं। उसकी सेवा पुस्तिका में वे खराब प्रविष्टियाँ उपलब्ध हैं और मिश्रा इस तथ्य से इनकार नहीं कर सकता। यह भी अभिकथित है कि सभी प्रतिकूल प्रविष्टियाँ विधिपूर्वक अंकित की गई हैं और मिश्रा ने किसी पूर्व रिट याचिका में प्रतिकूल प्रविष्टियों को कभी चुनौती नहीं दी।

38. तथापि, प्रबन्धतंत्र उस तथ्य का खण्डन नहीं करती जो रिट याचिका के प्रस्तर 17 में अभिकथित है कि प्रतिकूल प्रविष्टियाँ उसे कभी सूचित नहीं की गईं। डी.आई.ओ.एस. का यह निष्कर्ष कि ये प्रविष्टियाँ मिश्रा को विधिवत् सूचित की गई थीं, प्रत्यक्ष त्रुटि से ग्रस्त है। सेवा पुस्तिका में प्रतिकूल प्रविष्टियों का होना मिश्रा को पर्याप्त सूचना नहीं है, क्योंकि यह कहीं नहीं अभिकथित है कि प्रविष्टियाँ किए जाने के समय उसे सेवा पुस्तिका की प्रति दी गई थी या अन्यथा प्रविष्टियाँ उसके ध्यान में लाई गई थीं। अतः हमारा मत है कि उपर्युक्त चार वर्षों की प्रतिकूल प्रविष्टियाँ मिश्रा को कभी सूचित नहीं की गईं।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



39. इस संदर्भ में मध्यवर्ती शिक्षा अधिनियम, 1921 के अधीन बनाए गए विनियमों के अध्याय III के विनियम 72 एवं 73 का उल्लेख उचित है, जो प्रबन्धतंत्र और उस संस्थान पर लागू होते हैं जहाँ मिश्रा ने सेवा की। विनियम 72 एवं 73 इस प्रकार हैं :

'72. जहाँ किसी वर्ष विशेष में किसी व्यक्ति के चरित्र रोल में प्रतिकूल प्रविष्टि की जाती है, वहाँ उस वर्ष की समस्त प्रविष्टियाँ, चाहे प्रतिकूल हों या अनुकूल, ऐसी प्रविष्टि किए जाने के 30 दिनों के भीतर उसे सूचित की जाएँगी और उसकी अभिस्वीकृति प्राप्त की जाएगी; सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र रोके जाने की सूचना भी उसी प्रकार दी जाएगी।

73. चरित्र रोल में प्रतिकूल प्रविष्टि के विरुद्ध प्रबन्ध समिति के समक्ष अभ्यावेदन किया जा सकता है, जिसका निर्णय अन्तिम होगा।'

40. 1921 के अधिनियम द्वारा शासित संस्था में कार्यरत किसी व्यक्ति के चरित्र रोल में प्रतिकूल प्रविष्टि उसे सूचित किए जाने की विशिष्ट व्यवस्था के दृष्टिगत, प्रबन्धतंत्र का यह कर्तव्य था कि वे मिश्रा के विरुद्ध अब उद्धृत की जाने वाली चार प्रतिकूल प्रविष्टियाँ, जिनके आधार पर उसे चार वर्षों की लम्बी अवधि तक वरिष्ठता वेतनमान से वंचित किया गया, उसे सूचित करते। विनियम 72 एवं 73 में निहित सांविधिक प्रावधानों से परे, सामान्य सिद्धान्त के रूप में भी, यदि प्रासंगिक प्रतिकूल प्रविष्टियाँ संबंधित कर्मचारी को सूचित नहीं की गई हैं, तो नियोक्ता के लिए उन प्रतिकूल प्रविष्टियों के आधार पर पदोन्नति से वंचित करना, वरिष्ठता वेतनमान स्वीकृत न करना अथवा कर्मचारी पर कोई अन्य प्रतिकूल सिविल परिणाम अधिरोपित करना अनुज्ञेय नहीं है। मुझे इस प्रश्न पर विचार करने का अवसर **सुरेन्द्र कुमार गुप्ता बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, 2022 एस सी सी आनलाईन ए एल एल 1918** में विनियम 72 एवं 73 के पदों तथा सामान्य सिद्धान्त दोनों के आधार पर मिला, जहाँ मैंने अभिनिर्धारित किया :

"37. इस स्तर पर, याचिकाकर्ता को वर्ष 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004 तथा 2004-2005 के दौरान प्रदान की गई प्रतिकूल प्रविष्टियों के बारे में जिला विद्यालय निरीक्षक के रवैये का संज्ञान लेना अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इस संबंध में जिला विद्यालय निरीक्षक का रवैया उनके दिनांक 07.10.2021 के व्यक्तिगत शपथ पत्र के प्रस्तर संख्या 17 एवं 18 में प्रकट किया गया है। उक्त प्रस्तर इस प्रकार हैं :

17. यह कि याचिकाकर्ता की डुप्लीकेट सेवा पुस्तिका के बारे शुद्ध परिशीलन से स्पष्टतः प्रकट होता है कि वर्ष 2000 तक उसके विरुद्ध कोई प्रतिकूल प्रविष्टि नहीं थी और वर्ष 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005 में याचिकाकर्ता की सेवा के विरुद्ध प्रतिकूल टिप्पणियाँ की गईं, क्योंकि उसे संतोषजनक नहीं पाया गया और यहाँ तक कि उसकी सत्यनिष्ठा भी संदिग्ध पाई गई, जिसके फलस्वरूप चेतावनी के साथ-साथ प्रतिकूल प्रविष्टि, वेतन वृद्धि रोके जाने तथा वेतन से अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



कटौती जैसे आदेश पाए गए, परन्तु इस संबंध में एक भी शब्द नहीं था कि क्या उक्त दंड प्रदान करने से पूर्व नियत प्रक्रिया का पालन किया गया था या नहीं और क्या याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया था या नहीं, तथा उक्त आदेशों के शुद्ध परिशीलन से स्पष्टतः प्रकट होता है कि तत्कालीन प्रबन्धक एवं प्रधानाचार्य ने याचिकाकर्ता के विरुद्ध अभिकथित कार्यवाही बिना किसी प्रक्रिया का पालन किए, दुर्भावनापूर्ण इरादे से की, अतः उक्त प्रविष्टियाँ स्वयं ही शून्य हैं और उनके आधार पर याचिकाकर्ता के किसी लाभ को उक्त अवैध प्रविष्टियों के आधार पर नहीं रोका जा सकता।

18. यह कि उक्त सेवा पुस्तिका के शुद्ध परिशीलन से यह भी स्पष्टतः प्रकट होता है कि दिनांक 29.03.2009 के आदेश द्वारा प्रतिवादी संख्या 6 द्वारा याचिकाकर्ता को निलम्बित करने का निर्णय लिया गया था और इसका अनुमोदन भी तत्कालीन डी.आई.ओ.एस. द्वारा दिनांक 26.05.2009 को प्रदान किया गया अभिकथित है तथा बाद में प्रतिवादी संख्या 6 द्वारा पारित दिनांक 28.05.2010 के अंतिम आदेश द्वारा याचिकाकर्ता की दो वेतन वृद्धियाँ रोकने का निर्देश दिया गया और निर्वाह भत्ते के अतिरिक्त निलम्बन अवधि का वेतन भी जब्त करने का निर्देश दिया गया तथा बाद में याचिकाकर्ता को सेवा में पुनर्स्थापित किया गया, परन्तु विनियम 21 के अधीन उपबन्धित प्रावधान के अनुसार उक्त आदेश का अनुमोदन माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा कभी नहीं किया गया, अतः उक्त दंड आदेश भी अवैध एवं शून्य है।"

38. वास्तव में, प्रबन्धक द्वारा याचिकाकर्ता की पीठ पीछे प्रतिकूल प्रविष्टियाँ अंकित करने का कृत्य, जो उसे कभी सूचित नहीं की गई, विनियम 72 के प्रावधानों के विपरीत होने के कारण, उन प्रतिकूल प्रविष्टियों, जिन पर प्रतिवादी निर्भर हैं, की प्रामाणिकता तथा परिणामी वैधता पर गम्भीर संदेह की छाया डालता है। यह बहुत सुप्रसिद्ध सिद्धान्त है कि यदि सांविधिक विनियम किसी विशेष कार्य को निर्दिष्ट रीति में किए जाने की अपेक्षा करते हैं, तो उसे उसी रीति में किया जाना चाहिए। यदि किसी सांविधिक विनियम में निहित अनिवार्य प्रावधान, जिसका कर्मचारी के अधिकारों पर प्रतिकूल सिविल परिणाम होता है, का उल्लंघन में पालन किया जाता है, तो यह विधि में दुर्भावना का स्पष्ट प्रकरण है। यहाँ, जिला विद्यालय निरीक्षक ने प्रतिकूल प्रविष्टियों को सूचित करने तथा याचिकाकर्ता से उन पर हस्ताक्षर कराने में विनियम के उल्लंघन को तथ्यतः दुर्भावना का दृष्टान्त माना है। परिस्थितियाँ वास्तव में यह संकेत करती हैं कि असूचित किया जाना दुर्भावनापूर्ण था। प्रबन्धतंत्र की ओर से दुर्भावना स्पष्टतः इसमें थी कि उन्होंने प्रतिकूल प्रविष्टियों को याचिकाकर्ता से उसके हस्ताक्षरों द्वारा सेवा पुस्तिका में विधिवत् अभिस्वीकृत नहीं कराया, जो उसे सम्यक् सूचना होती। तत्पश्चात् याचिकाकर्ता विनियम 73 के अधीन उपबन्धित रीति में उन प्रतिकूल प्रविष्टियों के विरुद्ध अभ्यावेदन कर सकता था। यह सब नहीं किया गया है। विनियम 72 एवं 73 के प्रावधानों से परे, विधि इस बिन्दु पर स्पष्ट है कि वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदनों (ए.सी.आर.) में अंकित टिप्पणियाँ संबंधित कर्मचारी को युक्तियुक्त समय के भीतर सूचित की जानी चाहिए, जैसा कि उच्चतम न्यायालय ने सुखदेव सिंह अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



बनाम भारत संघ, (2013) 9 एस सी सी 566 में अभिनिर्धारित किया है। सुखदेव सिंह (उपर्युक्त) में यह अभिनिर्धारित किया गया था :

3. उपर्युक्त दो निर्णयों के पश्चात्, देव दत्त बनाम भारत संघ [देव दत्त बनाम भारत संघ, (2008) 8 एस सी सी 725 : (2008) 2 एस सी सी (एल व एस) 771] में, इस न्यायालय को एक लोक सेवक (सैन्य सेवा से भिन्न) के ए.सी.आर. में प्रविष्टि की सूचना के प्रश्न पर विचार करने का अवसर मिला। दो-न्यायाधीशों की पीठ [देव दत्त बनाम भारत संघ, (2008) 8 एस सी सी 725 : (2008) 2 एस सी सी (एल व एस) 771] ने मामले के विस्तृत एवं सूक्ष्म विचारण के पश्चात् तथा यू.पी. जल निगम [यू.पी. जल निगम बनाम प्रभात चन्द्र जैन, (1996) 2 एस सी सी 363 : 1996 एस सी सी (एल व एस) 519 : (1996) 33 ए टी सी 217] में इस न्यायालय के निर्णय एवं इस न्यायालय द्वारा समय-समय पर, विशेषकर ए.के. क्रैपक बनाम भारत संघ [(1969) 2 एस सी सी 262]; मेनका गांधी बनाम भारत संघ [(1978) 1 एस सी सी 248]; भारत संघ बनाम तुलसीराम पटेल [(1985) 3 एस सी सी 398 : 1985 एस सी सी (एल व एस) 672]; कैनरा बैंक बनाम वी.के. अवस्थी [(2005) 6 एस सी सी 321 : 2005 एस सी सी (एल व एस) 833] और महाराष्ट्र राज्य बनाम पब्लिक कंसर्न फॉर गवर्नेस ट्रस्ट [(2007) 3 एस सी सी 587] में प्रतिपादित प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों को ध्यान में रखते हुए यह निष्कर्ष निकाला कि लोक सेवक के ए.सी.आर. में प्रत्येक प्रविष्टि, चाहे वह खराब, सामान्य, औसत, अच्छी अथवा बहुत अच्छी प्रविष्टि हो, उसे युक्तियुक्त समय के भीतर सूचित की जानी चाहिए। यह वह बात है जो इस न्यायालय ने देव दत्त [देव दत्त बनाम भारत संघ, (2008) 8 एस सी सी 725 : (2008) 2 एस सी सी (एल व एस) 771] के प्रतिवेदन के प्रस्तर 17 एवं 18 में, एस सी सी पृष्ठ 733 पर, अभिनिर्धारित किया :

"17. हमारे मत में, लोक सेवक के ए.सी.आर. में प्रत्येक प्रविष्टि, चाहे वह खराब, सामान्य, औसत, अच्छी अथवा बहुत अच्छी प्रविष्टि हो, उसे युक्तियुक्त समय के भीतर सूचित किया जाना चाहिए। इसका कारण यह है कि ऐसी प्रविष्टि की असूचना दो प्रकार से कर्मचारी को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकती है : (1) यदि प्रविष्टि उसे सूचित की गई होती तो उसे अपने वरिष्ठों द्वारा अपने कार्य एवं आचरण के मूल्यांकन के बारे में ज्ञात होता, जिससे वह भविष्य में अपने कार्य में सुधार ला सकता था; (2) यदि वह प्रविष्टि को अन्यायपूर्ण समझता, तो उसके पास उसके विरुद्ध अभ्यावेदन करने तथा उसके उन्नयन की प्रार्थना करने का अवसर होता। अतः प्रविष्टि की असूचना मनमानी है, और इस न्यायालय की संविधान पीठ के निर्णय मेनका गांधी बनाम भारत संघ [(1978) 1 एस सी सी 248] में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि मनमानी संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करती है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



18. इस प्रकार, यह केवल तभी नहीं जब कोई मापदंड हो, अपितु सभी प्रकरणों में, किसी प्रविष्टि (चाहे वह खराब, सामान्य, औसत, अच्छी अथवा बहुत अच्छी हो) को लोक सेवक को सूचित किया जाना चाहिए, अन्यथा निष्पक्षता के सिद्धान्त का उल्लंघन होता है, जो प्राकृतिक न्याय की आत्मा है। यहाँ तक कि एक उत्कृष्ट प्रविष्टि को भी सूचित किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे कर्मचारी का मनोबल बढ़ेगा और वह अधिक परिश्रम से कार्य करेगा।"

(मूल पाठ में बल दिया गया)

4. तत्पश्चात् रिपोर्ट के एस सी सी पृष्ठ 734 के प्रस्तर 22 में देव दत्त के प्रकरण [देव दत्त बनाम भारत संघ, (2008) 8 एस सी सी 725 : (2008) 2 एस सी सी (एल व एस) 771] में इस न्यायालय ने निम्नलिखित भारयुक्त टिप्पणियाँ कीं :

"22. यह उल्लिखित किया जा सकता है कि प्रविष्टियों की सूचना तथा उनके विरुद्ध अभ्यावेदन करने का अवसर देना विशेष रूप से उन उच्च पदों पर महत्वपूर्ण है जो पिरामिडनुमा संरचना में होते हैं, जहाँ प्रायः पदोन्नति के चयन में निराकरण का सिद्धान्त अपनाया जाता है, और एक भी प्रविष्टि उस अधिकारी के कैरियर को नष्ट कर सकती है जो अन्यथा सतत उत्कृष्ट रहा हो। इसके परिणामस्वरूप प्रायः गम्भीर अन्याय एवं मानसिक पीड़ा होती है, और इस मनमानी के कारण अनेक अच्छे अधिकारियों, जो अधिमानित किए जाते हैं, का मनोबल टूट सकता है, जबकि निम्न योग्यता वाले अधिकारियों को पदोन्नत किया जा सकता है।"

5. तत्पश्चात् रिपोर्ट के प्रस्तर 37 एवं 41 में इस न्यायालय ने निम्न प्रकार टिप्पणी की : (देव दत्त के प्रकरण [देव दत्त बनाम भारत संघ, (2008) 8 एस सी सी 725 : (2008) 2 एस सी सी (एल व एस) 771], एस सी सी पृष्ठ 737-38)

"37. हम आगे यह भी अभिनिर्धारित करते हैं कि जब प्रविष्टि लोक सेवक को सूचित की जाती है, तो उसे संबंधित प्राधिकारी के समक्ष प्रविष्टि के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का अधिकार होना चाहिए, और संबंधित प्राधिकारी को निष्पक्ष रीति में तथा युक्तियुक्त समय के भीतर अभ्यावेदन का निर्णय करना चाहिए। हम यह भी अभिनिर्धारित करते हैं कि अभ्यावेदन का निर्णय प्रविष्टि देने वाले प्राधिकारी से उच्च प्राधिकारी द्वारा किया जाना चाहिए, अन्यथा यह संभावना है कि अभ्यावेदन को पर्याप्त विचार के बिना संक्षेप में अस्वीकार कर दिया जाएगा, क्योंकि यह सीज़र से सीज़र के समक्ष अपील होगी। यह सब लोक प्रशासन में निष्पक्षता एवं पारदर्शिता को बढ़ावा देगा, और लोक सेवकों के साथ निष्पक्षता का परिणाम देगा। राज्य को एक आदर्श नियोक्ता होना चाहिए, और अपने कर्मचारियों के साथ निष्पक्षतापूर्वक कार्य करना चाहिए। तभी सुशासन संभव होगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



41. हमारे मत में, लोक सेवक की वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन में प्रविष्टियों की असूचना, चाहे वह सिविल, न्यायिक, पुलिस अथवा किसी अन्य सेवा (सैन्य सेवा से भिन्न) में हो, निश्चित रूप से सिविल परिणाम रखती है, क्योंकि इससे उसकी पदोन्नति की संभावनाएँ अथवा अन्य लाभ प्रभावित हो सकते हैं (जैसा कि पहले ही चर्चा की जा चुकी है)। अतः ऐसी असूचना मनमानी होगी, और इस प्रकार संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करने वाली होगी।"

6. हम उपर्युक्त उद्धृत देव दत्त [देव दत्त बनाम भारत संघ, (2008) 8 एस सी सी 725 : (2008) 2 एस सी सी (एल व एस) 771] में दिए गए मत से, विशेष रूप से प्रस्तर 17, 18, 22, 37 एवं 41 से, पूर्णतः सहमत हैं। हम उसका अनुमोदन करते हैं।

7. इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने अभिजीत घोष दस्तीदार बनाम भारत संघ [(2009) 16 एस सी सी 146 : (2010) 1 एस सी सी (एल व एस) 959] में देव दत्त [देव दत्त बनाम भारत संघ, (2008) 8 एस सी सी 725 : (2008) 2 एस सी सी (एल व एस) 771] का अनुसरण किया। विचाराधीन प्रकरण के संदर्भ में इस न्यायालय ने रिपोर्ट के प्रस्तर 8 में निम्न प्रकार अभिनिर्धारित किया : (अभिजीत घोष दस्तीदार के प्रकरण [(2009) 16 एस सी सी 146 : (2010) 1 एस सी सी (एल व एस) 959], एस सी सी पृष्ठ 148)

"8. दूसरे पहलू पर आते हुए, यद्यपि पदोन्नति के लिए विचारणीय होने हेतु 'बहुत अच्छा' का मापदंड अपेक्षित है, निर्विवाद रूप से 'अच्छा' की प्रविष्टि अपीलार्थी को सूचित नहीं की गई थी। 'अच्छा' की प्रविष्टि उसे सूचित की जानी चाहिए थी, क्योंकि पिछले वर्ष उसे 'बहुत अच्छा' प्राप्त था। इन परिस्थितियों में, हमारे मत में, लोक सेवक के ए.सी.आर. में प्रविष्टियों की असूचना, चाहे वह सिविल, न्यायिक, पुलिस अथवा किसी अन्य सेवा (सशस्त्र सेना से भिन्न) में हो, सिविल परिणाम रखती है, क्योंकि इससे उसकी पदोन्नति की संभावनाएँ अथवा अन्य लाभ प्राप्त करने पर प्रभाव पड़ सकता है। अतः ऐसी असूचना मनमानी होगी, और इस प्रकार संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करने वाली होगी। अपीलार्थी द्वारा अवलम्बित उपर्युक्त संदर्भित निर्णय (देव दत्त के प्रकरण [देव दत्त बनाम भारत संघ, (2008) 8 एस सी सी 725 : (2008) 2 एस सी सी (एल व एस) 771], एस सी सी पृष्ठ 738, प्रस्तर 41) में भी यही मत दोहराया गया है। अतः, यदि अपीलार्थी को 'अच्छा' की प्रविष्टियाँ दी भी गई हों, तो उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति के लिए विचारणीय होने में उन्हें ध्यान में नहीं लिया जाना चाहिए था। प्रतिवादी का यह कोई प्रकरण नहीं है कि अपीलार्थी को उसे दिए गए ग्रेडिंग की प्रकृति के बारे में कभी सूचित किया गया था।"

8. हमारे मत में, देव दत्त [देव दत्त बनाम भारत संघ, (2008) 8 एस सी सी 725 : (2008) 2 एस सी सी (एल व एस) 771] में अपनाया गया यह मत कि लोक सेवक के ए.सी.आर. में प्रत्येक प्रविष्टि उसे व्यक्तिगत समय के भीतर सूचित की जानी चाहिए, विधिक रूप से सुदृढ़ है और तीन

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक है। प्रथम, ए.सी.आर. में प्रत्येक प्रविष्टि की लोक सेवक को सूचना उसे अधिक परिश्रम करने तथा अधिक उपलब्धि प्राप्त करने में सहायता करती है, जो उसके कार्य में सुधार लाने तथा बेहतर परिणाम देने में सहायक होती है। द्वितीय, और समान रूप से महत्वपूर्ण, ए.सी.आर. में प्रविष्टि के बारे में जानकारी प्राप्त होने पर, लोक सेवक उससे असंतुष्ट महसूस कर सकता है। प्रविष्टि की सूचना उसे ए.सी.आर. में अंकित टिप्पणियों के उन्नयन के लिए अभ्यावेदन करने में सक्षम बनाती है। तृतीय, ए.सी.आर. में प्रत्येक प्रविष्टि की सूचना लोक सेवक से संबंधित टिप्पणियों को अंकित करने में पारदर्शिता लाती है और प्रणाली प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के अधिक अनुरूप हो जाती है। तदनुसार, हम यह अभिनिर्धारित करते हैं कि ए.सी.आर. में प्रत्येक प्रविष्टि – खराब, सामान्य, औसत, अच्छी अथवा बहुत अच्छी – उसे युक्तियुक्त समय के भीतर सूचित की जानी चाहिए।

39. यह सटीक बिन्दु, कि असूचित प्रतिकूल ए.सी.आर./प्रविष्टियों को पदोन्नति के विचारण के प्रयोजन के लिए अवलम्बित नहीं किया जा सकता, उच्चतम न्यायालय के समक्ष रुखसाना शाहीन खान बनाम भारत संघ, (2018) 18 एस सी सी 640 में विचारण का विषय था। माननीय न्यायाधीशगण ने रुखसाना शाहीन खान (उपर्युक्त) में अभिनिर्धारित किया :

"1. इस अपील में सम्मिलित एकमात्र विषय यह है कि क्या असूचित वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदनों (ए.सी.आर.), जो अपीलार्थी के प्रतिकूल हैं, को अपीलार्थी की पदोन्नति के विचारण के प्रयोजन के लिए अवलम्बित किया जाना चाहिए था।

2. सुखदेव सिंह बनाम भारत संघ [सुखदेव सिंह बनाम भारत संघ, (2013) 9 एस सी सी 566 : (2014) 1 एस सी सी (एल व एस) 279] में इस न्यायालय के निर्णय के दृष्टिगत, इस पहलू पर कोई विवाद नहीं हो सकता। इस न्यायालय ने यह विधि सुस्थापित कर दी है कि असूचित एवं प्रतिकूल ए.सी.आर. को प्रक्रिया में अवलम्बित नहीं किया जा सकता।

3. तदनुसार, यह अपील स्वीकार की जाती है और आक्षेपित निर्णय [रुखसाना शाहीन खान बनाम भारत संघ, 2006 एस सी सी OnLine Del 1840] निम्नलिखित निर्देशों के साथ अपास्त किया जाता है :

(क) सक्षम प्राधिकारी को असूचित प्रतिकूल ए.सी.आर. को अनदेखा करने तथा विधि के अनुसार नया निर्णय लेने का निर्देश दिया जाता है।

(ख) अपीलार्थी को इस प्रक्रिया में सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाएगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. अपीलार्थी के लिए यह खुला रहेगा कि वह प्रभु दयाल खंडेलवाल बनाम यू.पी.एस.सी. [प्रभु दयाल खंडेलवाल बनाम यू.पी.एस.सी., (2015) 14 एस सी सी 427 : (2016) 1 एस सी सी (एल व एस) 825] में इस न्यायालय के निर्णय के संदर्भ सहित सभी उपलब्ध निवेदन प्रस्तुत करें।"

40. विधिक स्थिति स्पष्ट होने के कारण कि असूचित प्रतिकूल प्रविष्टियाँ किसी कर्मचारी को पदोन्नति से वंचित करने तथा *a fortiori* पदोन्नति वेतनमान से वंचित करने का आधार नहीं बन सकतीं, वर्ष 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004 तथा 2004-2005 की असूचित ए.सी.आर./प्रविष्टियों के आधार पर याचिकाकर्ता को पदोन्नति वेतनमान की स्वीकृति के विचारण से वंचित करने के प्रतिवादियों के प्रयास को स्वीकार नहीं किया जा सकता। जिला विद्यालय निरीक्षक ने अपने शपथ पत्र में, व्यापक आधारों पर, उन प्रविष्टियों को स्वतः ही दूषित होने का मत व्यक्त किया है।

41. जो भी हो, इस न्यायालय का दृढ़ मत है कि याचिकाकर्ता की सेवा पुस्तिका में अंकित प्रतिकूल ए.सी.आर./प्रविष्टियों को उसे पदोन्नति वेतनमान की स्वीकृति के विचारण से वंचित करने का आधार नहीं बनाया जा सकता। तदनुसार यह अभिनिर्धारित किया जाता है।"

41. हम पहले ही इस निर्णय में यह अभिनिर्धारित कर चुके हैं कि विचाराधीन चार वर्षों की प्रतिकूल प्रविष्टियाँ मिश्रा को कभी सूचित नहीं की गईं। वरिष्ठता वेतनमान की स्वीकृति अथवा पदोन्नति के लिए शिक्षक के दावे के विचारण के संदर्भ में असूचित प्रतिकूल प्रविष्टियों के बारे में विधिक स्थिति के दृष्टिगत, हमारा मत है कि रिट-ए संख्या 62515/2017 में विवादित, संयुक्त शिक्षा निदेशक द्वारा दिनांक 12.10.2017 को पारित आदेश, जिसके द्वारा चार प्रतिकूल प्रविष्टियों के आधार पर सहायक शिक्षक एल.टी. ग्रेड के रूप में मिश्रा का दिनांक 19.01.2015 से वरिष्ठता वेतनमान का दावा अस्वीकार किया गया है, उस सीमा तक खंडित किए जाने का अधिकारी है। मिश्रा, वरिष्ठता वेतनमान प्राप्त करने का अधिकारी है, वह भी दिनांक 01.07.2019 से नहीं, अर्थात् उसे प्रदान की गई अंतिम प्रतिकूल प्रविष्टि की तिथि से 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर, अपितु दिनांक 19.01.2015 से, जब उसने प्रबन्धतंत्र के संस्थान में सेवा-प्रारम्भ की तिथि, अर्थात् दिनांक 20.09.2005, से 10 वर्ष की सेवा पूर्ण की। मिश्रा उस आधार पर अपने परिलाभों के संशोधन के साथ-साथ अपने सेवानिवृत्ति-उत्तर परिलाभों के संशोधन का भी अधिकारी होगा। मिश्रा दिनांक 19.01.2015 से इन परिलाभों के भुगतान तक परिलाभों के संशोधन के फलस्वरूप बकाये का भी अधिकारी होगा।

42. अब हम इस याचिका में निहित अन्य प्रश्न की ओर आते हैं, जिसमें मिश्रा ने संस्कृत के प्रवक्ता पद पर उसे पदोन्नत करने का परमादेश जारी करने की प्रार्थना की है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



43. मिश्रा की राहत के इस भाग के संदर्भ में यह उल्लिखित किया जाना चाहिए कि वह इस याचिका की लम्बितता के दौरान दिनांक 31.03.2024 को सेवा से सेवानिवृत्त हो गया। प्रतिवादियों की ओर से यह तर्क दिया गया कि मिश्रा का पदोन्नति का दावा अब निरर्थक हो गया है और राहत का यह भाग उसे नहीं दिया जा सकता। हम सहमत नहीं हैं। यदि मिश्रा पदोन्नति का अधिकारी पाया जाता है अथवा इस विषय में उसका प्रकरण प्रतिवादियों द्वारा अनुचित रूप से अस्वीकृत पाया जाता है, जिससे वह आक्षेपित आदेश के उस भाग को खंडित कराने तथा पुनर्विचार के निर्देश का अधिकारी हो, तो मिश्रा उस तिथि से काल्पनिक पदोन्नति का भी अधिकारी होगा, जो इस न्यायालय द्वारा अथवा उस प्राधिकारी द्वारा, जिसे मामला प्रेषित किया जाए, उपयुक्त पाई जाए।

44. संयुक्त शिक्षा निदेशक द्वारा पारित आक्षेपित आदेश में यह अभिलिखित है कि संस्कृत के प्रवक्ता पद पर मिश्रा के पदोन्नति के प्रकरण को संस्थान की प्रबन्ध समिति द्वारा इस आधार पर अनुशंसित करने से मना कर दिया गया कि उसकी सेवाएँ संतोषजनक नहीं थीं। आदेश में यह भी अंकित है कि संस्कृत के प्रवक्ता का पद अवकाश ग्रहण के कारण दिनांक 30.06.2011 को रिक्त हुआ था, परन्तु परिणामी रिक्ति को दिनांक 12.12.2011 को बोर्ड को माँग पत्र के माध्यम से प्रेषित किया गया। इसमें यह भी टिप्पणी की गई है कि मिश्रा ने अपनी पदोन्नति न होने से व्यथित होकर इस न्यायालय में रिट-ए संख्या 42077/2016 दायर की है, जो लम्बित है। यहाँ यह उल्लिखित किया जाना आवश्यक है कि रिट-ए संख्या 42077/2016 की इस न्यायालय में लम्बितता के बारे में आक्षेपित आदेश में जो उल्लेख है, वह अनावश्यक और अप्रासंगिक है।

45. रिट-ए संख्या 42077/2016 में मात्र यह परिणामहीन राहत माँगी गई है कि डी.आई.ओ.एस. को मिश्रा के दिनांक 11.01.2016 के अभ्यावेदन पर निर्णय लेने का परमादेश जारी किया जाए। उक्त अभ्यावेदन दिनांक 20.09.2015 से वरिष्ठता वेतनमान का दावा करने के बारे में है, एक ऐसा विषय जिस पर हम पहले ही उचित उच्चार कर चुके हैं। इस रिट याचिका में न तो वरिष्ठता वेतनमान की स्वीकृति के संदर्भ में और न ही प्रवक्ता पद पर पदोन्नति के संदर्भ में कोई मूल राहत माँगी गई है। वास्तव में, दिनांक 11.01.2016 के अभ्यावेदन में प्रवक्ता पद पर पदोन्नति का कोई दावा नहीं है, जिस पर निर्णय कराने के लिए मिश्रा इस न्यायालय का आदेश माँग रहा है। आक्षेपित आदेश में उक्त रिट याचिका का संदर्भ करने वाली टिप्पणियाँ पूर्णतः अनावश्यक हैं और संयुक्त शिक्षा निदेशक द्वारा जानबूझकर मुद्दे को उलझाने और मिश्रा की पदोन्नति के दावे को अस्वीकार करने के अपने तर्क को खोखला आधार देने के लिए की गई हैं। हम पहले ही इस निर्णय में अभिनिर्धारित कर चुके हैं कि मिश्रा को प्रदान की गई असूचित प्रतिकूल प्रविष्टियाँ निष्प्रभावी हैं, जिन्हें वरिष्ठता वेतनमान का लाभ देने से इनकार करने के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता। आक्षेपित आदेश में यह टिप्पणी कि मिश्रा के पदोन्नति के प्रकरण को प्रबन्धतंत्र ने असंतोषजनक सेवा अभिलेख के कारण अनुशंसित करने से इनकार किया, भी अपना तथ्यात्मक आधार खो देती है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



46. मिश्रा को प्रदान की गई प्रतिकूल प्रविष्टियाँ निष्प्रभावी घोषित होने पर, उसके सेवा अभिलेख में ऐसा कुछ नहीं है जो प्रबन्धतंत्र को यह कहने का अधिकार दे कि उसकी सेवाएँ असंतोषजनक थीं। इसी कारण से आक्षेपित आदेश में इस आशय की टिप्पणियाँ भी आधारहीन हैं। संयुक्त शिक्षा निदेशक के आक्षेपित आदेश में यह अंकित है कि संस्कृत के प्रवक्ता का पद दिनांक 30.06.2011 को रिक्त हुआ था और दिनांक 12.12.2011 को बोर्ड को इसे सीधी भर्ती से भरने के लिए माँग पत्र प्रेषित किया गया था। आक्षेपित आदेश के स्वर से प्रतीत होता है कि संयुक्त शिक्षा निदेशक इस आधार पर आगे बढ़े कि जब संस्कृत के प्रवक्ता का पद रिक्त हुआ, अर्थात् दिनांक 30.06.2011 को, उस समय मिश्रा का सेवा अभिलेख संतोषजनक न होने के कारण उसे अनुशंसित नहीं किया गया और इसलिए इस रिक्ति की सूचना बोर्ड को सीधी भर्ती से भरने के लिए दी गई। मिश्रा को पदोन्नति से वंचित किए जाने के समर्थन में आक्षेपित आदेश में और कुछ नहीं कहा गया है। यह निर्विवाद है कि किसी आदेश की वैधता की जाँच उसके अपने पदों एवं सामग्री के आधार पर की जानी चाहिए। कारणों की पूर्ति शपथ पत्र से नहीं की जा सकती। तथापि, इस मामले में, चूँकि हम कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को यहाँ निपटाने का इरादा रखते हैं, इसलिए हमने शिक्षा प्राधिकारियों के साथ-साथ प्रबन्धतंत्र द्वारा मिश्रा की पदोन्नति अस्वीकार करने के औचित्य में दिए गए कारणों का भी परीक्षण किया है।

47. डी.आई.ओ.एस. की ओर से दाखिल प्रति शपथ पत्र में, जो शिक्षा प्राधिकारियों का रवैया प्रतिबिम्बित करता है, यह अभिकथित है कि कालेज में स्टाफ की स्वीकृत शक्ति के पुनर्निर्धारण के पश्चात् प्रवक्ताओं के चार पद स्वीकृत पद माने गए। डी.आई.ओ.एस. की ओर से दाखिल प्रति शपथ पत्र के प्रस्तर 17 में यह अभिकथित है कि दिनांक 23.12.2022 को प्रबन्धतंत्र ने उस तिथि की अपनी रिपोर्ट के माध्यम से यह सूचित किया कि संस्कृत के प्रवक्ता का पद जगदम्बा प्रसाद मिश्रा की सेवानिवृत्ति के कारण दिनांक 30.06.2011 को रिक्त हो गया था और यह सीधी भर्ती से भरा जाना था। तत्पश्चात् पदोन्नति से इनकार का कारण यह जोड़ा गया कि मिश्रा की सेवाएँ संतोषजनक न होने के कारण, चूँकि उसकी सेवा पुस्तिका में प्रतिकूल प्रविष्टियाँ अंकित थीं, उसे पदोन्नति से वंचित किया गया।

48. प्रबन्धतंत्र की ओर से दाखिल प्रति शपथ पत्र के प्रस्तर 35 में, रिट याचिका के प्रस्तर संख्या 8, 9, 10, 11 और 12 का खण्डन करने के पश्चात्, यह अभिकथित है कि प्रबन्धतंत्र ने बोर्ड को संस्कृत के प्रवक्ता की रिक्ति सीधी भर्ती से भरने की सूचना भेजी थी और इसलिए मिश्रा पदोन्नति के माध्यम से इसका दावा नहीं कर सकता। प्रबन्धतंत्र द्वारा यह अभिकथित किया गया है कि रिक्ति सीधी भर्ती कोटे की है न कि पदोन्नति के लिए आरक्षित। तत्पश्चात् प्रबन्धतंत्र के प्रति शपथ पत्र के प्रस्तर 35, 37, 38, 39, 40 में यह लगातार अभिकथित किया गया है कि मिश्रा का सेवा अभिलेख उसे प्रदान की गई प्रतिकूल प्रविष्टियों के कारण असंतोषजनक है। उन प्रविष्टियों को हम पहले ही अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



निष्प्रभावी और निराधार घोषित कर चुके हैं। हमारी उपर्युक्त घोषणा का प्रभाव यह है कि प्रतिकूल प्रविष्टियों को ऐसा माना जाना चाहिए मानो वे कभी अस्तित्व में ही नहीं थीं। ऐसा नहीं है कि इन प्रतिकूल प्रविष्टियों को प्रासंगिक समय पर विद्यमान माना जाए और आज हमारे द्वारा इन्हें निष्प्रभावी घोषित करने के परिणामस्वरूप वे हमारे निर्णय की तिथि से अपना बल खो दें। हमारी घोषणा का प्रभाव निःसंदेह यह है कि सभी प्रयोजनों के लिए ये प्रविष्टियाँ अर्थहीन हो जाती हैं, यद्यपि वे वास्तव में प्रदान की गई थीं और अभिलेख में दर्ज थीं।

49. आखिरकार, प्रतिकूल प्रविष्टियों के बारे में विधि सुस्थापित है कि असूचित हानिकार प्रविष्टियों का उपयोग पदोन्नति के लिए कर्मचारी के प्रकरण के विचारण में नहीं किया जा सकता। ऐसी असूचित प्रतिकूल प्रविष्टियों को अनदेखा किया जाना चाहिए। इस संदर्भ में **देव दत्त बनाम भारत संघ एवं अन्य, (2008) 8 एस सी सी 725 और रुखसाना शाहीन खान बनाम भारत संघ एवं अन्य, (2018) 18 एस सी सी 640** का उल्लेख किया जा सकता है। अतः मिश्रा के सेवा अभिलेख को असंतोषजनक नहीं माना जा सकता।

50. जैसा कि पहले उल्लिखित किया गया है, पदोन्नति की अस्वीकृति के संदर्भ में आक्षेपित आदेश को खंडित करने के लिए यह पर्याप्त होता, परन्तु तब मामला काल्पनिक पदोन्नति पर मिश्रा का क्षेत्राधिकार निर्धारित करने के लिए सांविधिक प्राधिकारी को प्रेषित करना होता। इसीलिए हमने शपथ पत्र के माध्यम से मिश्रा के दावे को अस्वीकार करने में उठाई गई अन्य याचना की भी जाँच की है। यह याचना यह है कि संस्कृत के प्रवक्ता का वह पद, जिस पर मिश्रा पदोन्नति के आधार पर दावा कर रहा है, वास्तव में सीधी भर्ती कोटे के अन्तर्गत आता है।

51. उपर्युक्त स्थिति को उचित ठहराने के लिए, प्रबन्धतंत्र के संस्थान में प्रवक्ता संवर्ग की रूपरेखा – अर्थात् इस संवर्ग में पदोन्नति एवं सीधी भर्ती के लिए कौन से पद आरक्षित थे – के संदर्भ में प्रबन्धतंत्र का रवैया उनके प्रति शपथ पत्र के प्रस्तर 36 में इस प्रकार निर्धारित है। यह अभिकथित है कि सुरेन्द्र कुमार भारती को दिनांक 16.09.2022 को अर्थशास्त्र के प्रवक्ता के रूप में पदोन्नत किया गया था और राजित राम वर्मा को भूगोल के प्रवक्ता के रूप में पदोन्नत किया गया था। हिन्दी के प्रवक्ता का पद सीधी भर्ती से और नागरिक शास्त्र के प्रवक्ता का पद भी सीधी भर्ती से भरा गया था। इस प्रकार, प्रबन्धतंत्र ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि पदोन्नति से भरे जाने के लिए कोई पद उपलब्ध नहीं था, क्योंकि विधि के अधीन 50% कोटा पूर्ण था।

52. प्रति शपथ पत्र के प्रस्तर 36 में यह भी अभिकथित है कि संस्कृत विषय में छात्रों की संख्या बहुत कम है और कुछ सत्रों में छात्र उपलब्ध ही नहीं होते। इसीलिए संस्कृत के प्रवक्ता का पद आयोग को सीधी भर्ती से भरने के लिए सूचित किया गया था। प्रबन्धतंत्र के रवैये में कुछ विरोधाभास प्रतीत होता है क्योंकि प्रस्तर 36 में वे संस्कृत के किसी प्रवक्ता पद के होने की बात नहीं

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



करते। उन्होंने बताया है कि अर्थशास्त्र, भूगोल, हिन्दी और नागरिक शास्त्र विषयों में प्रवक्ताओं के सभी पद – पदोन्नति और सीधी भर्ती दोनों से – भरे जा चुके हैं। तथापि, संयुक्त शिक्षा निदेशक के आक्षेपित आदेश से ज्ञात होता है कि संस्कृत के प्रवक्ता का एक पद है, जिसकी सूचना बोर्ड को सीधी भर्ती से भरने के लिए दी गई है। प्रबन्धतंत्र भी अपनी भ्रामक अभिकथनों के बावजूद प्रवक्ताओं के विषय-वार चार पदों के बारे में इस तथ्य का खण्डन नहीं करती। इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं किया जा सकता कि प्रबन्धतंत्र के संस्थान में संस्कृत के प्रवक्ता का एक पद है, जिसके बारे में उन्होंने बोर्ड को सीधी भर्ती से भरने की सूचना दी है।

53. डी.आई.ओ.एस. की ओर से दाखिल पूरक प्रति शपथ पत्र में प्रवक्ता संवर्ग की रूपरेखा – विषय-वार और कोटा-वार – पदोन्नति एवं सीधी भर्ती के बारे में अधिक सटीक विवरण देने का प्रयास किया गया है। डी.आई.ओ.एस. की ओर से दाखिल पूरक प्रति शपथ पत्र के प्रस्तर 13 में यह रवैया अपनाया गया है कि दिनांक 23.12.2022 को प्रबन्धतंत्र ने उस तिथि की रिपोर्ट के माध्यम से यह सूचित किया कि जगदम्बा प्रसाद मिश्रा की सेवानिवृत्ति के कारण संस्कृत के प्रवक्ता का पद दिनांक 30.06.2011 को रिक्त हो गया था और इसे सीधी भर्ती से भरा जाना था। तत्पश्चात् यह अभिकथित है कि उक्त पद को श्रीमती गायत्री देवी, प्रवक्ता (अर्थशास्त्र) को अन्य संस्थान से स्थानान्तरण पर समायोजित करते हुए भरा गया। यह अभिकथित है कि राजित राम वर्मा, सहायक शिक्षक एल.टी. ग्रेड, को दिनांक 10.04.2014 को भूगोल के प्रवक्ता पद पर पदोन्नत किया गया और हिन्दी के प्रवक्ता का पद कृष्ण कन्हैया वर्मा के स्थानान्तरण पर समायोजन से भरा गया। श्रीमती गायत्री देवी के दिनांक 31.02.2022 को सेवानिवृत्त होने पर रिक्त हुए अर्थशास्त्र के प्रवक्ता पद के बारे में यह अभिकथित है कि सुरेन्द्र कुमार भारती को दिनांक 30.08.2022 को अर्थशास्त्र के प्रवक्ता के रूप में पदोन्नत किया गया। पूरक प्रति शपथ पत्र के प्रस्तर 14 में यह रवैया है कि चार स्वीकृत प्रवक्ता पदों में से दो पदोन्नति के 50% कोटे से भरे जा चुके हैं, एक सीधी भर्ती से कृष्ण कन्हैया वर्मा, प्रवक्ता (हिन्दी) को स्थानान्तरण पर समायोजित करके, और एक प्रवक्ता पद रिक्त है जो सीधी भर्ती कोटे का है। यह अभिकथित है कि 50% कोटे के अन्तर्गत प्रवक्ता का कोई रिक्त पद नहीं है जो मिश्रा को पदोन्नति का अधिकारी बनाए।

54. मिश्रा द्वारा डी.आई.ओ.एस. के पूरक प्रति शपथ पत्र के उत्तर में दाखिल पूरक प्रति-उत्तर शपथ पत्र के प्रस्तर 4 में, उसके प्रस्तर 3 और 4 का उत्तर देते हुए, परन्तु प्रभावतः प्रस्तर 13 और 14 का भी उत्तर देते हुए इस प्रकार कहा गया है :

'4. पूरक प्रति शपथ पत्र के प्रस्तर 3 और 4 की सामग्री असत्य है, इसलिए इसका खण्डन किया जाता है। संस्कृत के प्रवक्ता का पद जगदम्बा प्रसाद मिश्रा की सेवानिवृत्ति के कारण दिनांक

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



30.06.2011 को रिक्त हो गया था और उस तिथि पर 4 पदों में से निम्नलिखित व्यक्ति कार्यरत थे :

क. श्री कृष्ण नन्द शुक्ला को शारीरिक शिक्षा शिक्षक होने के नाते दिनांक 28.02.1990 के शासनादेश के अनुसार प्रवक्ता ग्रेड प्रदान किया गया था, इसलिए श्री शुक्ला को पदोन्नति कोटे के अन्तर्गत नहीं माना जा सकता।

ख. श्री श्याम लाल को भाषा शिक्षक होने के नाते दिनांक 28.02.1990 के शासनादेश के अनुसार प्रवक्ता ग्रेड प्रदान किया गया था, इसलिए उन्हें पदोन्नति कोटे के अन्तर्गत नहीं माना जा सकता और इसके अतिरिक्त, यह विवाद भी निर्णीत हो चुका है कि प्रवक्ता ग्रेड प्रदान करने से व्यक्ति प्रवक्ता माने जाने का अधिकारी नहीं होता। सेवा पुस्तिकाओं की सत्य प्रतियाँ संलग्न हैं और इस पूरक प्रति-उत्तर शपथ पत्र में अनुलग्नक संख्या 1 के रूप में चिह्नित हैं।

ग. श्री गजाधर नाथ मिश्रा को 50% कोटे के अन्तर्गत प्रवक्ता के रूप में पदोन्नत किया गया था, इसलिए 4 पदों में से केवल एक पद पदोन्नति कोटे से भरा गया था और इस प्रकार याचिकाकर्ता पदोन्नति कोटे के अन्तर्गत संस्कृत के प्रवक्ता पद के लिए पात्र एवं अर्हक था, परन्तु उसका दावा अस्वीकार कर दिया गया।'

55. मिश्रा के संस्कृत के प्रवक्ता पद पर पदोन्नति के अधिकार के निर्धारण के लिए सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह देखना है कि उसे यह अधिकार किस तिथि को प्राप्त हुआ। संस्कृत के प्रवक्ता का पद दिनांक 30.06.2011 को रिक्त हुआ था और मिश्रा को पदोन्नति के लिए विचार करने का अधिकार उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा (सेवा चयन बोर्ड) अधिनियम, 1982 (इसके पश्चात् '1982 का अधिनियम') की धारा 2(1) के अधीन परिभाषित प्रासंगिक भर्ती वर्ष के संदर्भ में देखा जाना है। 1982 के अधिनियम की धारा 2(1) में भर्ती वर्ष को इस प्रकार परिभाषित किया गया है :

'2. परिभाषाएँ – इस अधिनियम में,

X X X X

(1) 'भर्ती वर्ष' से किसी कैलेंडर वर्ष की 1 जुलाई से प्रारम्भ होने वाला 12 माह का कालखण्ड अभिप्रेत है।'

56. उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमावली, 1998 (इसके पश्चात् '1998 की नियमावली') का नियम 14, जो पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया से संबंधित है, इस प्रकार है :

'14. पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया – (1) जहाँ कोई रिक्ति पदोन्नति से भरी जानी हो, वहाँ प्रशिक्षित स्नातक ग्रेड अथवा शिक्षण प्रमाण पत्र ग्रेड, यदि कोई हो, में कार्यरत वे समस्त शिक्षक, जो पद के लिए निर्धारित अर्हताएँ रखते हों और भर्ती वर्ष के प्रथम दिन तक उस रूप में पाँच वर्ष की अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



निरन्तर नियमित सेवा पूर्ण कर चुके हों, प्रवक्ता ग्रेड अथवा प्रशिक्षित स्नातक ग्रेड में, यथास्थिति, पदोन्नति के लिए बिना आवेदन किए विचारणीय होंगे।

टिप्पणी – इस उप-नियम के प्रयोजनों के लिए, किसी अन्य मान्यता प्राप्त संस्थान में की गई नियमित सेवा पात्रता के लिए गिनी जाएगी, जब तक कि वह पद से हटाने, बर्खास्तगी या पद में अवनति के कारण बाधित न हुई हो।

(2) पदोन्नति का मापदंड ज्येष्ठता होगा, परन्तु अनुपयुक्त पाए जाने वाले को अस्वीकार किया जा सकता है।

(3) प्रबन्धतंत्र उप-नियम (1) में उल्लिखित शिक्षकों की एक सूची तैयार करेगा और उसे ज्येष्ठता सूची, सेवा अभिलेख, जिनमें चरित्र रोल सम्मिलित हैं, और परिशिष्ट 'क' में दिए गए प्रारूप में एक विवरण की प्रति सहित निरीक्षक को प्रेषित करेगा।

(4) प्रबन्धतंत्र से उप-नियम (3) के अधीन सूची प्राप्त होने के तीन सप्ताह के भीतर निरीक्षक अपने कार्यालय के अभिलेखों से तथ्यों का सत्यापन करके सूची संयुक्त निदेशक को प्रेषित करेगा।

(5) संयुक्त निदेशक उप-नियम (3) में उल्लिखित अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के प्रकरणों का विचार करेगा और ऐसी अतिरिक्त सूचना माँग सकता है जो वह आवश्यक समझे। संयुक्त निदेशक अभिलेखों को धारा 12 की उप-धारा (1) में उल्लिखित चयन समिति के समक्ष रखेगा और समिति की अनुशंसा के पश्चात् चयनित अभ्यर्थियों का पैनल एक माह के भीतर अपनी एक प्रति निरीक्षक को तथा एक प्रति प्रबन्धतंत्र को भेजेगा।

(6) उप-नियम (5) के अधीन संयुक्त निदेशक से पैनल प्राप्त होने के दस दिन के भीतर, निरीक्षक रिक्ति अधिसूचित करने वाले संस्थान के प्रबन्धतंत्र को चयनित अभ्यर्थियों के नाम भेजेगा और प्रबन्धतंत्र तदनुसार, परिशिष्ट 'छ' में दिए गए प्रारूप में, प्राधिकरण के अन्तर्गत अपने प्रस्ताव के आधार पर ऐसे अभ्यर्थी को नियुक्ति आदेश जारी करेगा।'

[न्यायालय द्वारा आभार सहित उद्धृत]

57. 1982 के अधिनियम की धारा 12 में यह प्रावधान है :

'12. पदोन्नति द्वारा चयन की प्रक्रिया –

(1) प्रत्येक क्षेत्र के लिए, शिक्षक के पद पर पदोन्नति के लिए अभ्यर्थियों के चयन हेतु एक चयन समिति गठित होगी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :

- (i) क्षेत्रीय संयुक्त शिक्षा निदेशक – अध्यक्ष
- (ii) क्षेत्र में किसी सरकारी इंटर कालेज का वरिष्ठतम प्रधानाचार्य – सदस्य
- (iii) संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक – सदस्य/सचिव

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(2) शिक्षक के पद पर पदोन्नति के लिए अभ्यर्थियों के चयन की प्रक्रिया वैसी होगी जैसी विहित की जाए।'

58. पदोन्नति द्वारा अभ्यर्थी के चयन की प्रक्रिया का उल्लेख हम पहले ही 1998 की नियमावली के नियम 14 के विस्तृत उद्धरण में कर चुके हैं। 1982 के अधिनियम और 1998 की नियमावली के प्रावधानों पर विचार करते हुए यह स्पष्ट है कि मिश्रा संस्कृत के प्रवक्ता की रिक्ति दिनांक 30.06.2011 को उत्पन्न होने पर पदोन्नति का पात्र था, क्योंकि तब तक वह प्रशिक्षित स्नातक ग्रेड के शिक्षक के रूप में पाँच वर्षों की निरन्तर नियमित सेवा पूर्ण कर चुका था। इसमें कोई विवाद नहीं है कि उसके पास पद के लिए निर्धारित अपेक्षित अर्हताएँ नहीं थीं। मिश्रा को पदोन्नति के लिए विचार न किए जाने का कारण यह था कि उसका सेवा अभिलेख वर्ष 2005-06, 2006-07, 2007-08 और 2008-09 की प्रतिकूल प्रविष्टियों से कलंकित था। इन प्रतिकूल प्रविष्टियों को हम पहले ही अनदेखा किए जाने योग्य ठहरा चुके हैं। परिस्थितियों में, हमारा सुविचारित मत है कि संस्कृत के प्रवक्ता का पद दिनांक 30.06.2011 को रिक्त होने के पश्चात्, मिश्रा दिनांक 01.07.2011 को अथवा उसके बाद यथाशीघ्र पदोन्नति के लिए विचारणीय था — दिनांक 01.07.2011 रिक्ति के उत्पन्न होने के पश्चात् नए भर्ती वर्ष का प्रारम्भ होने की तिथि है।

59. निर्विवाद रूप से, जब जगदम्बा प्रसाद मिश्रा की सेवानिवृत्ति पर दिनांक 30.06.2011 को संस्कृत के प्रवक्ता का पद रिक्त हुआ, तब प्रवक्ताओं के छह स्वीकृत पद थे। मिश्रा की पात्रता और पदोन्नति के लिए विचारणीय होने का अधिकार उस समय मजबूत हो गया था। उस समय तक, सरकारी आदेश दिनांक 22.02.2013 के अनुसार प्रवक्ताओं की स्वीकृत शक्ति छह से घटाकर चार नहीं की गई थी। डी.आई.ओ.एस. का प्रकरण यह है कि प्रासंगिक भर्ती वर्ष, अर्थात् दिनांक 01.07.2011 से प्रारम्भ होने वाले वर्ष में, जब प्रवक्ताओं की तत्कालीन स्वीकृत शक्ति छह के आधार पर संस्कृत के प्रवक्ता का पद दिनांक 30.06.2011 को रिक्त हुआ, प्रवक्ता संवर्ग में पदोन्नति कोटे के अन्तर्गत तीन प्रवक्ता — कृष्ण चन्द्र शुक्ला, श्याम लाल वर्मा और गजाधर नाथ मिश्रा — कार्यरत थे और इसलिए जगदम्बा प्रसाद मिश्रा की सेवानिवृत्ति से उत्पन्न संस्कृत के प्रवक्ता की रिक्ति सीधी भर्ती कोटे को जाती।

60. पूरक प्रति-उत्तर शपथ पत्र में मिश्रा के विद्वान अधिवक्ता ने इंगित किया है कि कृष्ण चन्द्र शुक्ला को कभी प्रवक्ता के पद पर पदोन्नत नहीं किया गया, बल्कि उन्हें दिनांक 28.02.1990 के शासनादेश के अनुसार प्रवक्ता ग्रेड प्रदान किया गया था। वे शारीरिक शिक्षा शिक्षक थे। प्रवक्ता ग्रेड का प्रदान किया जाना प्रवक्ता संवर्ग में उनकी पदोन्नति नहीं थी। इसी प्रकार, श्याम लाल वर्मा को भी दिनांक 28.02.1990 के शासनादेश के अनुसार एक भाषा शिक्षक के रूप में प्रवक्ता ग्रेड प्रदान

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



किया गया था। तर्क दिया गया है कि उन्हें कभी प्रवक्ता पद पर पदोन्नत माना ही नहीं जा सकता, चाहे उक्त शासनादेश के अनुसार प्रवक्ता ग्रेड क्यों न दिया गया हो।

61. विवाद के इस भाग को सुलझाने के लिए, हमने इन दोनों शिक्षकों – कृष्ण चन्द्र शुक्ला और श्याम लाल वर्मा – के सेवा अभिलेख तलब किए ताकि यह पता चल सके कि वे वास्तव में प्रवक्ता पद पर पदोन्नत हुए थे या उन्हें केवल प्रवक्ता ग्रेड दिया गया था। हमने दिनांक 28.02.1990 के शासनादेश की भी जाँच की, जिसके आधार पर यह कहा गया है कि इन दो शिक्षकों को केवल प्रवक्ता ग्रेड दिया गया, परन्तु वे कभी प्रवक्ता के रूप में पदोन्नत नहीं हुए। श्याम लाल वर्मा की सेवा पुस्तिका मूल रूप में प्रस्तुत की गई है, जबकि कृष्ण चन्द्र शुक्ला की सेवा पुस्तिका की प्रबन्धक और संस्थान के प्रधानाचार्य द्वारा अभिप्रमाणित जेरोक्स प्रति प्रस्तुत की गई है। किसी भी पक्षकार ने, राज्य सहित, इन दस्तावेजों की प्रामाणिकता पर विवाद नहीं किया।

62. श्याम लाल वर्मा की सेवा पुस्तिका के परिशीलन से ज्ञात होता है कि उन्हें प्रबन्धतंत्र के दिनांक 07.07.1972 के प्रस्ताव के आधार पर सी.टी. ग्रेड में नियुक्त किया गया था। बाद में दिनांक 03.03.1981 के आदेश के अनुसार उन्हें एल.टी. ग्रेड में रखा गया। सेवा पुस्तिका के पृष्ठ 5 के परिशीलन से ज्ञात होता है कि वर्मा दिनांक 31.07.1990 तक सहायक शिक्षक एल.टी. ग्रेड और शारीरिक शिक्षा के रूप में कार्यरत रहे। तथापि, दिनांक 01.08.1990 से दिनांक 28.02.1990 के शासनादेश के अनुसार उन्हें 10 वर्षों की निरन्तर सेवा पूर्ण करने पर प्रवक्ता ग्रेड प्रदान किया गया। सेवा पुस्तिका में लाल स्याही से निम्न आदेश अंकित है :

'10 वर्ष की निरन्तर सेवा पर शा0 सं0 2111/8-5-90/3087/89 दिनांक 28-2-90 के अनुसार दिनांक 1-8-90 से प्रवक्ता वेतनमान दिया गया एवं दिनांक 1-8-90 को रु0 1650=00 वेतन निर्धारित किया गया।'

जहाँ उक्त आदेश वर्मा की सेवा पुस्तिका में अंकित है, उससे ठीक आगे बाएँ कॉलम में उन्हें 'प्रवक्ता व्यायाम शिक्षा' के रूप में वर्णित किया गया है।

63. दिनांक 28.02.1990 के शासनादेश का उल्लेख करना उचित होगा। यह उत्तर प्रदेश सरकार के एक संयुक्त सचिव द्वारा जारी तथा शिक्षा निदेशक, लखनऊ/इलाहाबाद को सम्बोधित है। उक्त शासनादेश का पाठ इस प्रकार है :

प्रेषक,
श्री शरद इन्दु,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



शिक्षा निदेशक,
उत्तर प्रदेश,
लखनऊ/इलाहाबाद

शिक्षा [8] अनुभाग लखनऊ : दिनांक फरवरी 28, 1990

विषय- वेतन पुनरीक्षण समिति, उत्तर प्रदेश, 1989 की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों/इंटर कालेजों में शैक्षिक पदों पर पुनरीक्षित वेतनमानों की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 4749/15-8-89/3087/89 दिनांक 4 अक्टूबर, 1989 के पैरा-3 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कला, व्यायाम, भाषा, गृह विज्ञान, शिल्प, संगीत, त्रिभाषा, पेंटिंग, टंकण, आशुलिपि तथा ड्राफ्ट विषयों को कक्षा 9-10 में पढ़ने वाले सी.टी. ग्रेड में निर्धारित अर्हता के आधीन नियुक्त अध्यापकों को जब कक्षा 9-10 में पढ़ते हुए 10 वर्ष पूरे हो जायें तो उन्हें एल.टी. ग्रेड के साधारण वेतनमान रु. 1400-40-1800-ई.बी.-50-2300 दिया जाये।

2- उक्त विषयों को कक्षा 11-12 में पढ़ने वाले एल.टी. ग्रेड के ऐसे अध्यापकों को जिनकी नियुक्ति निर्धारित अर्हता के अधीन हुई है-जब कक्षा 11-12 में पढ़ाते हुये 10 वर्ष पूरे हो जायें तो उन्हें प्रवक्ता वेतनमान रु. 1600-50-2300-ई.बी.-60-2600 दिया जाये।

3- भविष्य में उपर्युक्त विषयों को पढ़ाने वाले अध्यापकों को एल.टी. एवं प्रवक्ता वेतनमान में नियुक्ति किये जाने हेतु सम्बन्धित व्यवसाय की अर्हता के साथ क्रमशः स्नातक/स्नातकोत्तर अर्हता निर्धारित की जाती है।

4- ये आदेश वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या-वे.आ.(2) 55/10-90 दिनांक 28 फरवरी, 1990 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(शरद इन्दु)

संयुक्त सचिव

64. दिनांक 28.02.1990 के शासनादेश के प्रस्तर 1 और 2 के परिशीलन से ज्ञात होता है कि यह अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों/इंटर कालेजों में शैक्षिक पदों पर उत्तर प्रदेश वेतन पुनरीक्षण समिति, 1989 की संस्तुतियों के आधार पर संशोधित वेतनमान की स्वीकृति के बारे में है। उक्त शासनादेश के प्रस्तर 1 और 2 के संयुक्त अवलोकन से ज्ञात होता है कि दिनांक 04.10.1989 के पूर्व शासनादेश में संशोधन करते हुए, एल.टी. ग्रेड के शिक्षक, अन्य बातों के साथ-साथ, जिन्होंने नियमानुसार शारीरिक शिक्षा जैसे विषयों में नियुक्ति पाई थी और जो कक्षा 11 और 12 में 10 वर्षों से पढ़ा रहे हों, प्रवक्ता ग्रेड का वेतनमान रु0 1600-50-2300-ब0 ब0-60-2600 पाने के अधिकारी होंगे। दिनांक 28.02.1990 का शासनादेश किसी भी प्रकार एल.टी. ग्रेड शिक्षक की किसी प्रकार की पदोन्नति की बात नहीं करता। बल्कि, शासनादेश कुछ विषयों में 10 वर्षों

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



से कक्षा 11 और 12 को पढ़ाने वाले एल.टी. ग्रेड शिक्षकों को प्रवक्ता का वेतनमान प्रदान किए जाने की बात करता है। शारीरिक शिक्षा उन विषयों में से एक है, जहाँ एल.टी. ग्रेड का पदासीन शिक्षक 10 वर्षों की सेवा पूर्ण करने पर प्रवक्ता का वेतनमान प्राप्त करने का अधिकारी होगा।

65. सेवा पुस्तिका में आदेश और संबंधित प्रविष्टि दर्शाती है कि श्याम लाल वर्मा को दिनांक 28.02.1990 के शासनादेश के अनुसार प्रवक्ता का वेतनमान या ग्रेड दिया गया था। उन्हें कभी प्रवक्ता पद पर पदोन्नत नहीं किया गया। यदि इस तथ्य के बारे में कोई संदेह हो, तो विधि उस संभावना को समाप्त कर देती है। 1982 के अधिनियम की धारा 12 के साथ पठित 1998 की नियमावली का नियम 14 किसी निजी सहायता प्राप्त इंटर कालेज में प्रवक्ता नियुक्त होने का दावा करने वाले एल.टी. ग्रेड शिक्षकों की पदोन्नति की प्रक्रिया निर्धारित करता है। इस प्रक्रिया में, अन्य बातों के साथ, 1982 के अधिनियम की धारा 12 के अधीन परिकल्पित चयन समिति द्वारा अभ्यर्थिता का विचारण सम्मिलित है। वर्मा को निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए कभी प्रवक्ता पद पर पदोन्नत नहीं किया गया। उन्हें केवल दिनांक 28.02.1990 के शासनादेश के अनुसार प्रवक्ता का वेतनमान प्रदान किया गया था।

66. जहाँ तक कृष्ण चन्द्र शुक्ला का संबंध है, वे मूलतः एल.टी. ग्रेड भाषा शिक्षक के रूप में नियुक्त प्रतीत होते हैं, जिन्हें दिनांक 28.02.1990 के शासनादेश के अनुसार प्रवक्ता का वेतनमान प्रदान किया गया। उनकी सेवा पुस्तिका के परिशीलन से ज्ञात होता है कि वे दिनांक 30.06.1990 तक एल.टी. ग्रेड शिक्षक थे और उन्हें दिनांक 01.07.1990 से दिनांक 28.02.1990 के शासनादेश के अनुसार रु0 1600/- के वेतनमान में रखते हुए प्रवक्ता का वेतनमान दिया गया। यद्यपि बाद की प्रविष्टियाँ उन्हें 'प्रवक्ता हिन्दी' के रूप में वर्णित करती हैं, परन्तु यह स्पष्ट है कि कृष्ण चन्द्र शुक्ला को भाषा शिक्षक के रूप में प्रवक्ता का वेतनमान प्रदान किया गया था। उनके प्रवक्ता संवर्ग में पदोन्नत होने का कोई प्रमाण नहीं है। सेवा पुस्तिका में उन्हें प्रवक्ता संवर्ग में पदोन्नत करने वाले किसी पदोन्नति आदेश का कोई संदर्भ नहीं है। अतः यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि कृष्ण चन्द्र शुक्ला को प्रवक्ता का वेतनमान प्रदान किया गया था, यद्यपि वे एल.टी. ग्रेड शिक्षक थे। इसलिए वे प्रवक्ता संवर्ग के भाग नहीं थे। प्रबन्धतंत्र ने सत्र 2010-11 के प्रवक्ताओं की एक ज्येष्ठता सूची भी भेजी है, जिसमें श्याम लाल वर्मा और कृष्ण चन्द्र शुक्ला को प्रवक्ता के रूप में दर्शाया गया है।

67. हमारा मत है कि उक्त सूचियाँ दोषपूर्ण हैं। ये शिक्षक एल.टी. ग्रेड शिक्षक थे, जिन्हें प्रवक्ता ग्रेड प्रदान किया गया था, परन्तु वे किसी भी प्रकार प्रवक्ता पद पर पदोन्नत नहीं हुए थे। सत्र 2010-11 के सहायक शिक्षकों की भी एक सूची है। उक्त सूची में सत्र 2010-11 में मिश्रा से वरिष्ठ तेरह सहायक शिक्षक एल.टी. ग्रेड का स्थान है। किसी ने यह दावा नहीं किया कि वर्ष 2011

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



में मिश्रा से वरिष्ठ सहायक शिक्षक एल.टी. ग्रेड में से कोई भी जगदम्बा प्रसाद मिश्रा द्वारा दिनांक 30.06.2011 को रिक्त किए गए संस्कृत के प्रवक्ता पद पर पदोन्नत होने का अधिकारी था। इसलिए वर्ष 2011 में केवल एक शिक्षक गजाधर नाथ मिश्रा था, जिसे 50% कोटे के अन्तर्गत प्रवक्ता के रूप में पदोन्नत किया गया था। 50% तक के शेष पद पदोन्नति से भरे जाने थे। पदों की संख्या दिनांक 01.07.2011 पर, जब वह भर्ती वर्ष प्रारम्भ हुआ, छह थी, इसलिए मिश्रा स्पष्ट रूप से पदोन्नति के लिए विचारणीय होने का अधिकारी था।

68. हम देखते हैं कि डी.आई.ओ.एस. की ओर से दाखिल पूरक प्रति शपथ पत्र के प्रस्तर 13 में यह रवैया है कि दिनांक 30.06.2011 को संस्कृत के प्रवक्ता पद पर उत्पन्न हुई रिक्ति दिनांक 30.06.2013 को श्रीमती गायत्री देवी, प्रवक्ता (अर्थशास्त्र) को अन्य संस्थान से स्थानान्तरण पर समायोजित करते हुए सीधी भर्ती से भरी गई। यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि प्रवक्ता के उच्च संवर्ग में 50% पदोन्नति कोटे को पहले भरा जाना चाहिए और उसके बाद शेष 50% पद सीधी भर्ती से भरे जाने चाहिए। इस संदर्भ में **राकेश भारद्वाज बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2007 (5) ए एल जे 39** का उल्लेख किया जा सकता है, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है :

'17. ... केवल 50 प्रतिशत पदोन्नति कोटा समाप्त होने के पश्चात् ही प्रबन्धतंत्र सीधी भर्ती से भरी जाने वाली रिक्ति निर्धारित करने का अधिकारी है।'

69. डी.आई.ओ.एस. ने पूरक प्रति शपथ पत्र के प्रस्तर 13 में कहा है कि जगदम्बा प्रसाद मिश्रा की सेवानिवृत्ति पर दिनांक 30.06.2011 को उत्पन्न हुई संस्कृत के प्रवक्ता की रिक्ति सीधी भर्ती से भरी जानी थी और इसीलिए दिनांक 30.06.2013 को श्रीमती गायत्री देवी, प्रवक्ता (अर्थशास्त्र) को अन्य संस्थान से स्थानान्तरण पर समायोजित करते हुए उसे भरा गया। यह अभिकथन कि दिनांक 30.06.2011 को उत्पन्न हुई रिक्ति सीधी भर्ती से भरी जानी थी, स्पष्टतः दोषपूर्ण रवैया है। इसका कारण यह है कि यह अभिकथन इस पूर्वानुमान पर आधारित है कि रिक्ति उत्पन्न होने की तिथि पर पदोन्नति कोटे में दो प्रवक्ता – श्याम लाल वर्मा और कृष्ण चन्द्र शुक्ला – संवर्ग में कार्यरत थे। हम पहले ही यह अभिनिर्धारित कर चुके हैं कि ये शिक्षक प्रवक्ता नहीं थे, बल्कि केवल दिनांक 28.02.1990 के शासनादेश के अनुसार प्रवक्ता वेतनमान प्रदान किए गए थे। संकाय में उनकी उपस्थिति को विधिवत् नियुक्त प्रवक्ता के रूप में नहीं माना जा सकता। उन्हें अभी भी एल.टी. ग्रेड शिक्षक माना जाएगा, जो दिनांक 28.02.1990 के शासनादेश के अनुसार प्रवक्ता का वेतनमान प्राप्त कर रहे थे। इस प्रकार, दिनांक 30.06.2011 को अथवा वस्तुतः दिनांक 01.07.2011 को मिश्रा के प्रकरण के विचारण के लिए पदोन्नति के 50% कोटे में पर्याप्त रिक्ति थी, जिसे प्रतिवादियों ने नहीं किया। उन्होंने स्पष्टतः चार वर्षों की प्रतिकूल प्रविष्टियों से कलंकित मिश्रा के सेवा अभिलेख का सहारा लेते हुए संस्कृत के प्रवक्ता पद पर उसके दावे पर विचार नहीं किया।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



70. हम पहले ही अभिनिर्धारित कर चुके हैं कि प्रतिकूल प्रविष्टियाँ निष्प्रभावी हैं क्योंकि वे कभी सूचित नहीं की गईं। मिश्रा की पदोन्नति के विचारण से वंचित करने के लिए उन्हें ध्यान में नहीं लिया जा सकता था। हम यह भी देखते हैं कि सुरेन्द्र कुमार भारती को श्रीमती गायत्री देवी की सेवानिवृत्ति के परिणामस्वरूप दिनांक 30.08.2022 को प्रवक्ता (अर्थशास्त्र) के पद पर पदोन्नत किया गया। इस बिन्दु पर पदोन्नति कोटे और सीधी भर्ती के आधार पर विभाजित प्रवक्ता संवर्ग की रूपरेखा को देखते हुए मिश्रा को पदोन्नति के लिए विचार न किए जाने का कोई कारण नहीं था। किसी भी दृष्टि से वर्ष 2011 से लेकर सेवानिवृत्ति की तिथि तक मिश्रा के पदोन्नति के प्रकरण को विचारण से वंचित रखने का कोई औचित्य नहीं है, सिवाय इसके कि प्रबन्धतंत्र ने असूचित प्रतिकूल प्रविष्टियों पर आधारित खराब सेवा अभिलेख का सहारा लिया जो वे नहीं ले सकते थे, जैसा कि पहले ही अभिनिर्धारित किया जा चुका है। अतः हमारे मत में, संयुक्त शिक्षा निदेशक द्वारा मिश्रा की पदोन्नति के प्रकरण को अस्वीकार करते हुए पारित आक्षेपित आदेश टिकाऊ नहीं है। संयुक्त शिक्षा निदेशक के आक्षेपित आदेश के उस भाग को भी खंडित किया जाना आवश्यक है।

71. शेष प्रश्न यह है कि मिश्रा को पदोन्नति के मामले में कौन सी राहत दी जा सकती है। वह दिनांक 31.03.2024 को सेवा से सेवानिवृत्त हो चुका है। मिश्रा का पदोन्नति के लिए विचारणीय होने का अधिकार दिनांक 01.07.2011 को अथवा उक्त भर्ती वर्ष के दौरान मजबूत हुआ था। उसे मुख्यतः उसके सेवा अभिलेख के आधार पर गलत तरीके से पदोन्नति से वंचित किया गया, जो हमने अभिनिर्धारित किया है, नहीं होना चाहिए था। मिश्रा, अब एक सेवानिवृत्त कर्मचारी होने के कारण, वास्तविक पदोन्नति नहीं दी जा सकती। परन्तु इससे उसे पदोन्नति के लिए विचारणीय होने का अवसर और यदि चयन समिति उपयुक्त पाए तो इस निर्णय के मार्गदर्शन को ध्यान में रखते हुए दिनांक 01.07.2011 से काल्पनिक पदोन्नति नहीं मिलेगी – ऐसा नहीं है। इसलिए चयन समिति, प्रतिकूल प्रविष्टियों को अनदेखा करते हुए, मिश्रा के पदोन्नति के प्रकरण का विचारण करने के लिए अग्रसर होगी और यदि उपयुक्त पाया जाए तो उसे दिनांक 01.07.2011 से अथवा यथाशीघ्र ऐसी तिथि से, जो संयुक्त शिक्षा निदेशक निर्धारित करें, काल्पनिक पदोन्नति दी जाएगी। मिश्रा, जिस किसी तिथि को काल्पनिक पदोन्नति दी जाए, उस तिथि से पदोन्नति के प्रवक्ता पद का वेतन प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा, क्योंकि उसने अपनी सेवानिवृत्ति तक उस पद पर वास्तव में कार्य नहीं किया। यदि चयन समिति उसे उपर्युक्त निर्देशानुसार उपयुक्त पाती है, तो उसे प्रवक्ता का दर्जा प्रदान किया जाएगा और वह प्रवक्ता के ग्रेड के आधार पर परिकलित सेवानिवृत्ति-उत्तर परिलाभों, जिनमें पेंशन सम्मिलित है, के उचित संशोधन का अधिकारी होगा। निःसंदेह, वह संशोधन के फलस्वरूप पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति-उत्तर परिलाभों के बकाये का – जो केवल उसकी अधिवर्षता की तिथि से देय होंगे – अधिकारी होगा, परन्तु वेतन बकाये या किसी अन्य सेवाकालीन परिलाभ का नहीं।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



72. मिश्रा को पदोन्नति के पद के वेतन से वंचित करने के अपने दृष्टिकोण में हम एस.डी. रघुनन्दन सिंह बनाम कर्नाटक राज्य एवं अन्य, 1994 एसयूपीपी (2) एस सी सी 526; हरियाणा राज्य एवं अन्य बनाम ओ.पी. गुप्ता एवं अन्य, (1996) 7 एस सी सी 533; वी.एन. मीनाक्षी बनाम भारत संघ एवं अन्य, 1999 एस सी सी (एल व एस) 669; ए.के. सौमिनी बनाम स्टेट बैंक ऑफ ट्रावणकोर एवं अन्य, (2003) 7 एस सी सी 238; भारत संघ बनाम बी.एम. झा, (2007) 11 एस सी सी 632 और अभिजीत घोष दस्तीदार बनाम भारत संघ एवं अन्य, (2009) 16 एस सी सी 146 से बल प्राप्त करते हैं। उपर्युक्त प्राधिकरणों में से कुछ में सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है और कुछ में इसे सुस्थापित मानते हुए केवल काल्पनिक पदोन्नति के निर्देश दिए गए हैं, जहाँ कर्मचारियों ने सेवानिवृत्ति या किसी अन्य कारण से पदोन्नति के पद पर वास्तव में कार्य नहीं किया था।

73. अब रिट-ए संख्या 19042/2022 के संबंध में, मिश्रा की चुनौती का सार संयुक्त शिक्षा निदेशक, बस्ती क्षेत्र, बस्ती द्वारा दिनांक 30.08.2022 को पारित आदेश के माध्यम से सुरेन्द्र कुमार भारती, सहायक शिक्षक, को प्रवक्ता के रूप में पदोन्नत किए जाने के विरुद्ध है। अन्य राहत प्रतिवादियों को यह परमादेश जारी करने की माँग है कि मिश्रा को प्रबन्धतंत्र के संस्थान में पदोन्नति के लिए आरक्षित 50% कोटे के विरुद्ध संस्कृत के प्रवक्ता पद पर पदोन्नत किया जाए। मिश्रा निर्विवाद रूप से दिनांक 31.03.2024 को सेवा से सेवानिवृत्त हो चुका है। इसलिए, बदली परिस्थितियों में उसे सुरेन्द्र कुमार भारती की प्रवक्ता के रूप में पदोन्नति को खंडित कराने का कोई अधिकार नहीं है। जहाँ तक उक्त संस्थान में प्रवक्ता पद पर उसे पदोन्नत करने के निर्देश के दावे का संबंध है, हम पहले ही यह अभिनिर्धारित कर चुके हैं कि वह नियमावली के अनुसार काल्पनिक पदोन्नति के विचारण के रूप में, जो सम्भवतः बहुत पहले की तिथि से हो, सीमित राहत का अधिकारी है। इसलिए, इस याचिका में कोई आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है और यह अभिलेख में संग्रहीत किए जाने योग्य है।

74. इसी प्रकार, रिट-ए संख्या 42077/2016 में डी.आई.ओ.एस. को मिश्रा के दिनांक 11.01.2016 के अभ्यावेदन पर विचार करने का परमादेश जारी करने से अधिक कोई राहत नहीं माँगी गई है। वह अभ्यावेदन, जो रिट याचिका से अनुलग्नक संख्या 1 के रूप में संलग्न है, वरिष्ठता वेतनमान की स्वीकृति के बारे में है। हम पहले ही रिट-ए संख्या 62515/2017 में इस निर्णय के क्रम में किए गए आदेशों द्वारा मिश्रा को उस राहत का अधिकारी ठहरा चुके हैं। इसलिए, इस याचिका में कोई आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है और यह अभिलेख में संग्रहीत किए जाने योग्य है। तदनुसार, हम चारों रिट याचिकाओं का निम्नलिखित आदेश के रूप में निर्णय करते हैं :

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



क. प्रबन्धतंत्र द्वारा दायर रिट-ए संख्या 5197/2024, मिश्रा को देय 50,000/- रुपये के व्यय के साथ, खारिज की जाती है। व्यय का भुगतान संस्थान के प्रबन्धक द्वारा इस निर्णय की प्राप्ति की तिथि से एक माह के भीतर मिश्रा के बैंक खाते में किया जाएगा। यदि उपर्युक्त निर्देशानुसार व्यय का भुगतान नहीं किया जाता, तो मिश्रा को रजिस्ट्रार जनरल के समक्ष आवेदन देने की स्वतंत्रता होगी, जो जिलाधिकारी, बस्ती के माध्यम से भू-राजस्व के बकाये के रूप में प्रबन्धतंत्र से व्यय की वसूली करवाकर मिश्रा के बैंक खाते में जमा करवाएगा।

ख. रिट-ए संख्या 62515/2017 स्वीकार की जाती है। संयुक्त शिक्षा निदेशक, बस्ती क्षेत्र, बस्ती द्वारा दिनांक 12.10.2017 को पारित आक्षेपित आदेश रद्द किया जाता है। प्रबन्धतंत्र, डी.आई.ओ.एस. और संयुक्त शिक्षा निदेशक, बस्ती क्षेत्र, बस्ती को परमादेश जारी किया जाता है कि वे आपस में सुनिश्चित करें कि मिश्रा को दिनांक 19.01.2015 से वरिष्ठता वेतनमान स्वीकृत किया जाए, तदनुसार उसके परिलाभों का पुनर्निर्धारण एवं पुनर्निर्धारण करने के पश्चात् सेवानिवृत्ति-उत्तर परिलाभों में संशोधन करें और इन तीनों प्रतिवादियों में से किसी को भी इस आदेश की प्राप्ति की तिथि से तीन माह के भीतर 6% साधारण ब्याज सहित समस्त बकाये का भुगतान करें। संयुक्त शिक्षा निदेशक, बस्ती क्षेत्र, बस्ती को और परमादेश जारी किया जाता है कि वे इस आदेश की प्राप्ति की तिथि से एक माह के भीतर काल्पनिक आधार पर प्रवक्ता पद पर पदोन्नति के लिए मिश्रा के प्रकरण को सांविधिक चयन समिति के समक्ष रखें। यदि मिश्रा को समिति द्वारा पदोन्नति के योग्य पाया जाए, तो वह दिनांक 01.07.2011 से अथवा उसके यथाशीघ्र पश्चात्, काल्पनिक आधार पर प्रवक्ता ग्रेड में पदोन्नति का अधिकारी होगा, परन्तु उसे पदोन्नति के पद का कोई परिलाभ देय नहीं होगा। उसे अभिलेखों में काल्पनिक रूप से प्रवक्ता के रूप में पदोन्नत दर्शाया जाएगा और वह अपने सेवानिवृत्ति-उत्तर परिलाभों में, जिनमें पेंशन सम्मिलित है, संशोधन का अधिकारी होगा, जिसका बकाया केवल उसकी अधिवर्षता की तिथि से देय होगा। यदि मिश्रा को पदोन्नत किए जाने के योग्य पाया जाता है, तो उसके देय और संशोधित सेवानिवृत्ति-उत्तर परिलाभों का भुगतान प्रतिवादियों को इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तिथि से तीन माह के भीतर किया जाएगा। व्यय के विषय में कोई आदेश नहीं होगा।

ग. रिट-ए संख्या 42077/2016 और रिट-ए संख्या 19042/2022 दाखिल-दफ्तर की जाती हैं। इन दोनों रिट याचिकाओं में व्यय के विषय में कोई आदेश नहीं होगा।

75. इस निर्णय की एक प्रति रजिस्ट्रार (अनुपालन) द्वारा संयुक्त शिक्षा निदेशक, बस्ती क्षेत्र, बस्ती; जिला विद्यालय निरीक्षक, बस्ती; श्री शिव मोहर नाथ पाण्डेय किसान जनता इंटर कालेज, नगर बाजार, बस्ती के प्रबन्धक एवं प्रधानाचार्य को प्रेषित की जाए।

76. इस आदेश की एक प्रति रजिस्ट्रार जनरल के समक्ष प्रस्तुत की जाए।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(न्यायमूर्ति जे.जे. मुनीर)

02 फरवरी, 2026

अनूप

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।